

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**Original Application No. 211/2024**

**SANJAY AGARWAL**

**...APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF UTTARAKHAND & ORS.**

**...RESPONDENT'S**

**INDEX**

<b>S.NO</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE No.</b>
<b>1.</b>	<b>Counter affidavit on behalf of Respondent No.07</b>	1-9
<b>2.</b>	<b>ANNEXURE R/1</b> Copy of the sale deed dated 04.02.2015	10-25
<b>3.</b>	<b>ANNEXURE R/2</b> Copy of the sale deed dated 11.07.2023	26-36
<b>4.</b>	<b>ANNEXURE R/3</b> Copy of the sale deed dated 14.02.2019	37-54
<b>5.</b>	<b>ANNEXURE R/4</b> Copy of the sale deed dated 25.07.2017	55-69
<b>6.</b>	<b>ANNEXURE R/5</b> Copy of the sale deed dated 15.02.2012	70-94
<b>7.</b>	<b>ANNEXURE R/6</b> Copy of Master plan of Rishikesh	95-96
<b>8.</b>	<b>ANNEXURE R/7</b> Copy of Government order dated 27.12.2021	97-98

<b>9.</b>	<b>ANNEXURE R/8</b> Copy of photographs of the township developed adjacent to the said land along with satellite image of the said buildings.	99-103
<b>10.</b>	<b>ANNEXURE R/9</b> Copy of photographs of the said water outlet along with water and electricity bills.	104-110
<b>11.</b>	<b>ANNEXURE R/10</b> Copy of rules of the development authority, government order and sewage receipts.	111-131
<b>12.</b>	<b>VAKALATNAMA</b>	132

13. proof of service 133

Filed on: 06.11.2024

*Rohit*


**ROHIT PANDEY**  
**ADVOCATE FOR THE RESPONDENT**  
LB 9 and 10, Gauri Sadan 5,  
Hailey Road, New Delhi  
**Rohit.pandey4587@gmail.com**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL****PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****Original Application No. 211/2024****SANJAY AGARWAL****...APPLICANT****VERSUS****STATE OF UTTARAKHAND & ORS.****...RESPONDENT'S****COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 07**

I, Atul Nehra, S/o Sukragpal Singh, R/o 3303, second floor, Block C, Greenfield Basti, Near Gurudwara, Faridabad, aged about 38, I am the respondent no. 7 in the aforesaid Original Application do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That, I am the respondent no. 07 in the aforesaid Original Application and fully acquainted with the facts and circumstances of the case and, hence competent to swear this affidavit in the above captioned matter.
2. That I have read the Notice by the National Green Tribunal on the basis of the facts mentioned before the Hon'ble Bench and fully understood the same and I state that same are Incorrect, misleading thus the contents of the same are denied.
3. At the very outset, it is submitted that the contents/averments in the above captioned original application to the extent not specifically adverted to and replied herein shall be deemed to have

*Atul Nehra*



②

been traversed in extensor and denied by the Respondent No. 07 save and except those which are expressly admitted hereinafter.

4. It is humbly submitted that the Respondent No 7 reserves its rights to add, modify or otherwise elaborate its reply, averments, contention, submissions and to place on record further annexures/ documents as may be required or as and when directed by this Hon'ble Court.

**5. PRELIMINARY SUBMISSIONS**

(a) It is pertinent to bring to the attention of this Hon'ble Court that the complainant/informant is himself involved in constructing buildings/residences in the same area, adjacent to the disputed residential buildings. He has not approached this tribunal with clean hands, as he is a co-purchaser, which is clearly reflected in the sale deed dated 04.02.2015, and has actively participated in constructing a similar building next to the said land. This complaint appears to stem from a personal vendetta rooted in enmity with his partners. Copy of the sale deed dated 04.02.2015 is Annexed here as **Annexure R/1 from page 10 to 25.**

(b) Furthermore, it is relevant to note that respondents no. 1 to no. 3 did not take any action concerning the development or construction of these buildings until after the National Green Tribunal intervened. These authorities were aware of an already developed township in the area, which was established even before the construction of these buildings, without approved maps or NOCs. The department itself




*Sh. N. N. N.*

acknowledged in its report that no approvals can be granted for such development in this area.

- (c) The brief facts of the present case are that Respondent No. 7 purchased this land in 2023 from the previous owner, Mrs. Rajni Makhija, through a sale deed dated 11.07.2023. In the sale deed, the respondent was informed that the land was free from any encumbrances. Additionally, he was advised that he could proceed with constructing a residential building, noting that the township includes adjacent residential, commercial, and hotel properties. Copy of the sale deed dated 11.07.2023 is marked as **Annexure R/2 from page 26 to 26**.
- (d) It is also important to bring to the attention of this Hon'ble Court that the executed sale deed is not the first instance where this land was involved in a transaction. The land had previously been sold on three prior occasions (total 4), as can be clearly understood from the table provided below:

S No.	DETAILS OF THE SELLER	DETAILS OF THE BUYER	DATE OF EXECUTED SALE DEED	ANNEXURE	PAGE NO.
1.	RAJNI MAKHIJA	ATUL NEHRA	11.07.2023	R/2	10-25
2.	SEEMA	RAJNI MAKHIJA	14.02.2019	R/3	26-36
3.	PARAMJEET KAUR	SEEMA	25.07.2017	R/4	32-54
4.	NAVEEN	PARAMJEET	15.02.2012	R/5	55-69

*(Handwritten signature)*



(4)

	<b>KUMAR</b>	<b>KAUR</b>			
--	--------------	-------------	--	--	--

- (e) It is important to bring to the attention of this Hon'ble Court that the photographs annexed to the aforementioned sale deeds clearly show that the constructions adjacent to the said land were already in place before the registration of the sale deeds. This is evident from the pages referenced in the table below:

S No.	ANNEXURE	PAGE NO.
1.	<b>R/2</b>	30
2.	<b>R/3</b>	41
3.	<b>R/4</b>	57

- (f) It is also important to mention before this Hon'ble Court that the said land, along with the adjacent lands, is categorized under "Krishi Hari Pattika" as per the Master Plan Rishikesh, and not under "Hari Shreni," as observed by this Hon'ble Court. Copy of Master Plan Rishikesh is annexed here as **Annexure R/6 from page 95 to 96**.
- (g) It is pertinent to bring to the attention of this Hon'ble Court that, as evident from the designation in the Rishikesh master plan, the term "Krishi Hari" in "Krishi Hari Pattika" refers to land designated by the government specifically for agricultural purposes. Contrary to previous statements made before this Hon'ble Court, this land does not fall under the




(5)

category of "Hari Shreni," as it lacks any trees and covered forests.

- (h) It is submitted that a crucial fact has been concealed from this Hon'ble Court: the constructions adjacent to the respondent's buildings were erected years before the respondent's residential buildings, commercial complexes and Hotels. None of these constructions have had their maps approved by the development authorities, as the said land falls under the "Krishi Hari Pattika" category.
- (i) It is also submitted before this Hon'ble Court that the area in question has been converted from a village to a Nagar Panchayat. This rural-to-urban conversion was undertaken in accordance with the law, following an increase in the population from 12,000 to 40,000, reflecting the area's development into a city. This transition was formalized by a State Government order dated 27 December 2021. Copy of the Government order dated 27 December 2021 is annexed here as **Annexure R/7** from page 97 to 98.
- (j) Furthermore, a fact that has been concealed from this Hon'ble Court is that not only the buildings mentioned in the aforesaid table have been constructed adjacent to the respondent's residential buildings, but an entire city has been developed in the area. This stands in stark contrast to the action being taken solely against the respondents. Copy of photographs of entire developed city adjacent to these buildings along with satellite image of the said township are

*Dr. Neha*



(6)

annexed here as **Annexure R/8** from page 99 to 103.


- (k) The petitioner respectfully submits before this Hon'ble Court that the cognizance taken by this Court, as mentioned in the attached notice, raises valid concerns regarding the dumping of construction material into the natural stream. However, the respondent clarifies that the water outlet referred to as a natural stream is not a permanent water body. It is, in fact, a seasonal water outlet that functions only during the rainy season to channel water from the mountains and remains dry for the rest of the year and also the said respondent has used paid water and electricity at the time of the construction. The copy of the photographs of the water outlet along with bills of electricity and water supplied at the time of construction are annexed here as **Annexure R/9** from page 104 to 110.
- (l) The petitioner further respectfully submits before this Hon'ble Court that no construction material has been dumped into the said stream. During the same year, during the prolonged rainy season, the stream was operational. Had it not been functioning, as a fact various issues would have arisen, which did not occur during that period. Further it is strongly denied that the construction waste is being dumped into the said natural stream and the applicant has alleged the same without any proof which is clearly evident from the photographs annexed as **Annexure R/9**

#### 6. PARAWISE REPLY



*Amudha*


- (a) The respondent fully denies the concern raised in point 02 regarding map approval. It has been clarified that neighbouring buildings were constructed earlier without any map approval, as the area falls under "Krishi Hari Pattika," where the development authority does not grant such approvals. The respondent contends that only the respondent is being singled out in this case. The copy of photographs are annexed here as **Annexure R/3**.
- (b) The respondent completely denies the concern raised in point 03 regarding the requirement to obtain NOCs from the air and water pollution control boards. Since the development authority can not approve maps in this area as land is in krishi hari pattika, and for residential purposes no Noc's are required as per mandate. Furthermore, neighbouring buildings, including commercial structures, have also been constructed without obtaining such NOCs. The respondent's building, however, is intended for residential use.
- (c) The respondent fully denies the concern raised in point 04 regarding the installation of a sewage treatment plant, as this issue was raised by this Hon'ble Court but is not applicable to the property in question. According to development authority regulations of National Green Tribunal itself the building's area is 826 sq mt. and



sewage treatment plants are only required for buildings exceeding an area of 10000 sq. mt wherein also the department has certified the sewage line and sewage connection in the said building as required as per government order. The copy of the rules of the development authority along with Government order and sewage receipts are annexed here as **Annexure R/10 from page 111 to 131**.

- (d) The respondent categorically denies the concern raised in point 05 by this Hon'ble Court, stating that no land associated with the rainwater disposal stream has been encroached upon or acquired during the construction of the residential building. The respondent asserts that all construction activities have respected the designated boundaries, ensuring that the natural water drainage pathways remain unaffected.

In light of the facts and submissions, the action taken by this Hon'ble Court concerning the alleged dumping of construction material in the rainwater disposal stream is entirely denied, as detailed in paragraph (K) of the Preliminary Submissions. No environmental laws have been violated in this regard, and the court's cognizance is based on concealed facts and is therefore liable to be dismissed.



*Mulash*

*Mulash*  
**DEPONENT**

352  
9

**VERIFICATION**

I, the above-named deponent do hereby verify that the contents of para no. 1 to 4 are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed therein.


06 NOV 2024

Verified and signed on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 2024 at

Identify the deponent who has signed/T.I in my presence

Signature  
Adv./Self  
Mr./Ms  
ID No.

**DEPONENT**



self (Atul Nalwa)  
2545

06 NOV 2024

**ROHIT PANDEY**

**ADVOCATE FOR THE RESPONDENT**

**LB 9 and 10, Gauri Sadan 5,**

**Hailey Road, New Delhi**

**Rohit.pandey4587@gmail.com**

**ATTESTED**  
A.N. Singh, Adv.  
Notary Public  
Govt. of India, New Delhi

06 NOV 2024

I identify the document who has  
signed in my presence

Signature  
Name  
ID Number

RECEIVED  
FEB 21 1997  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION


विक्रय विलेख का वांछित विवरण	
1.	विक्रय मालियत प्रतिफल :- ₹31,40,000/-
2.	शासकीय मूल्यांकन :- ₹ 31,37,098/-
3.	स्टाम्प शुल्क :- ₹1,57,000/-
4.	स्टाम्प पृष्ठों की संख्या :- 13
5.	विवरण विक्रीत भूमि :- भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी संख्या-41 एवं नया खाता खतौनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-65 नया खसरा संख्या-25 मि० कुल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल है।
6.	मुख्य मार्ग से दूरी :- विक्रीत भूमि मुख्य ऋषिकेश-बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।
7.	भूमि क्रय का प्रयोजन :- आवासीय प्रयोजन हेतु।
8.	सकिल दर :- ₹10,192/-वर्ग मीटर।
9.	विक्रेता का नाम व पता :- (1) श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारैआम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून। PAN AIFGRI 2911N (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरमद मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरमद मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। द्वारा मुख्तारैआम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरमद मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून।
10.	क्रेता का नाम व पता :- (1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून। (PAN No. AILPG6547R) (2) श्री अमित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, मेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (PAN No. AJRPG1850E) (3) श्री बंशी कुमार मित्तल पुत्र स्व० श्री चन्द्रमान मित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड़, देहरादून (PAN No. AFVPM9593G) (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून (PAN No. ABTPA7137N) (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीचन्द्र गुप्ता, निवासी-15 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। (PAN No. AIFPG1650B)

11355




UTTARAKHAND

254078



[2]



विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 04-02-2015 को स्थान जिला टिहरी गढ़वाल में (1) श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारेआम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारेआम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनका इस विलेख में आगे विक्रेतागण कहकर सम्बोधित किया गया है)।

.....विक्रेतागण

*Handwritten signatures and stamps:*

*Signature 1*  
*Signature 2*  
*Signature 3*  
 04/02/2015  
*Signature 4*  
*Signature 5*



357

द्वितीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
25000  
पच्चीस हजार रुपये



Rs.  
25000  
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



254074

[3]  
ने

(1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून, (2) श्री अमित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, मेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री बंशी कुमार मित्तल पुत्र स्व० श्री चन्द्रभान मित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड, देहरादून (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीचन्द गुप्ता, निवासी-15 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनको इस विलेख में आगे क्रेतागण कहकर सम्बोधित किया गया है) के पक्ष में अंकित व निष्पादित किया।

.....क्रेतागण

*[Handwritten signatures and names]*  
अजय कुमार गोयल  
[Other illegible signatures]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



रु.  
25000  
पच्चीस हजार रुपये

Rs.  
25000  
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

राखण्ड UTTARAKHAND

254075

[4]

जैसा कि विक्रेतागण इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के संयुक्त स्वामी व अध्यासी है। विक्रेतागण ने वर्णित भूमि एक श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन, निवासी-ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्थे, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 05-04-2014 के माध्यम से क्रय की है जो कि रजिस्ट्रार कार्यालय जिला टिहरी गढ़वाल में बही नं०-1, जिल्द 37, पृष्ठ 505 से 516 पर दस्तावेज संख्या-34 पर दिनांक 07-04-2014 को विधिवत् पंजीकृत है। इस प्रकार विक्रेतागण को उक्त वर्णित भूमि विक्रय एवं हस्तान्तरण इत्यादि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 राजप गढ़वाल

*[Handwritten signature]*

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.  
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

254077

[5]

और जैसा कि विक्रेता श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने पति श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनांक 05-04-2014 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय टिहरी गढ़वाल में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-55, पृष्ठ 233 से 240 तक क्रमांक 29 पर दिनांक 07-04-2014 को विधिवत् पंजीकृत है।

और जैसा कि विक्रेता श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त गलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने सगे भाई श्री निशान्त गलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनांक 13-10-2010 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-131, पृष्ठ 275 से 284 तक क्रमांक 389 पर दिनांक 13-10-2010 को विधिवत् पंजीकृत है।

*[Handwritten signatures and stamps]*

360

16

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
25000  
पच्चीस हजार रुपये



Rs.  
25000  
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

राखण्ड UTTARAKHAND

254076

[6]

और जैसा कि विक्रेतागण का स्वामित्व इस विलेख की सूची में दर्जित भूमि के विषय में पवित्र है तथा विक्रेतागण के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची में दर्जित भूमि किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में ग्रहित नहीं है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है। इस भूमि पर कोई भार, अधिभार तथा ऋण नहीं है। यह भूमि किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। विक्रेता का अध्यास्त स्थल पर स्वच्छ है।

और जैसा कि विक्रेतागण को इस विलेख की सूची में दर्जित भूमि को विक्रीत करने के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। विक्रेतागण इस विलेख की सूची में दर्जित भूमि को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में क्रेतागण को विक्रीत करने को तैयार है तथा क्रेतागण उक्त धनराशि में इस विलेख की सूची में दर्जित भूमि को क्रय करने को तैयार हैं।

*[Handwritten signatures and stamps]*

HE  
Kolas  
राखण्ड न्यायालय  
[Signature]  
[Signature]

361

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



रु.  
25000  
पच्चीस हजार रुपये

Rs.  
25000  
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

तराखण्ड UTTARAKHAND

254079

[7]

अतः विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-

- (1) यह कि उपरोक्त विक्रेतागण इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रेतागण को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में विक्रीत, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करते हैं तथा भूमि पर स्वामी के रूप में क्रेतागण को आरूढ़ करते हैं। भूमि का वास्तविक अध्यासन स्थल पर विक्रेतागण ने क्रेतागण को देकर भूमि पर आरूढ़ करा दिया है। विक्रय प्रतिफल की धनराशि अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) विक्रेतागण ने क्रेतागण से विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व नगद में प्राप्त कर ली है। विक्रेतागण समस्त विक्रय धनराशि की प्राप्ति उपनिबन्धक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल के समक्ष एतद्वार स्वीकार करते हैं तथा स्पष्ट करते है कि विक्रय प्रतिफल की एवज में कोई लेना-देना शेष नहीं रह गया है।

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 विक्रेतागण  
 जिला टिहरी गढ़वाल

362  
18



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499206

[8]

(2) यह कि पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु विक्रेतागण निम्नानुसार स्पष्ट करते हैं :-

- (क) यह कि विक्रेतागण ने इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि का वास्तविक रिक्त अध्यासन क्रेतागण को स्थल पर सौंप दिया है।
- (ख) यह कि विक्रित भूमि के सन्दर्भ में आज तक के समस्त कर आदि का भुगतान विक्रेतागण करेंगे और आज के उपरान्त समस्त कर आदि का भुगतान क्रेतागण करेंगे। क्रेतागण को पूर्ण अधिकार है कि वह विक्रित भूमि के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेखों में अपना नाम विक्रेतागण के स्थान पर दर्ज करवा लेवे, विक्रेतागण इस कार्य हेतु सदैव क्रेतागण की मदद को तैयार रहेगा।
- (ग) यह कि विक्रित भूमि पर कोई भार, अधिभार, ऋण नहीं है और यह भूमि किसी स्थान पर धरोहर या बन्धक नहीं है। यह भूमि विवाद प्रत्येक प्रकार के न्यायालय के विवाद से मुक्त है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है।

*[Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a stamp that reads 'Uttarakhand' and another that reads '18/09/2017'.]*

*Handwritten signatures and notes:*  
 1. A signature at the top left.  
 2. A signature in the center, with the text "क्या है" written below it.  
 3. A signature on the right side, with "The" written above it.  
 4. Another signature below the "The" signature.

(ख) यह कि यदि किसी समय पूर्ण स्वामित्व व स्पष्ट स्वामित्व के लिए कंसागण की आवश्यकता की सहजता की आवश्यकता पड़ी और कंसागण द्वारा कंसागण के पक्ष में अन्य कोई पक्ष व प्रपत्र अंकित करने की आवश्यकता पड़ी तो कंसागण, कंसागण की भाग पर व कंसागण के व्यय पर उपरोक्त प्रपत्र अंकित व विधित्व करने तथा उसका कारण बताने।

(घ) यह कि कंसागण में व अधिकार जो वर्तमान में कंसागण को उपलब्ध है और जो भविष्य में कंसागण को उपलब्ध हो सकते हैं वह भी कंसागण को अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

499207

भारत UTARAKHAND



(5)

364  
20



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499208

[10]

(च) यह कि यदि विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व दोष के कारण या विक्रेतागण के किसी भी अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोष के कारण क्रेतागण के अधिकार अथवा अध्यासन से निकल जाता है तो विक्रेतागण उसका पर्याप्त हर्जाना क्रेतागण को अदा करेंगे तथा अदा किये जाने का कारण बनेंगे।

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 सत्यमेव जयते  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499209

[11]

- (3) यह कि विक्रीत भूमि मौजा तपोवन, पट्टी धमान्दस्वै, परगना व तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है तथा ऋषिकेश-बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलक्टर टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्मित, भूमि एवं सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के अन्तर्गत विक्रीत भूमि का शासकीय मूल्यांकन अंकन ₹ 10,192/- वर्ग मीटर है। इस प्रकार विक्रीत भूमि का शासकीय मूल्यांकन ₹ 31,37,098/- निर्धारित होता है। भूमि का विक्रय मूल्य अंकन ₹ 31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) है जिस पर नियमानुसार ₹ 1,57,000/- का स्टाम्प शुल्क समर्पित किया जा रहा है। भूमि अन्तरण में कोई वैध बाधा नहीं है।

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 उत्तराखण्ड

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499210

[12]

- (4) यह कि विक्रेतागण व क्रेतागण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। विक्रेतागण व क्रेतागण भारतीय नागरिक हैं। भूमि पर सिलिमा अधिनियम लागू नहीं होता है। विक्रीत भूमि पर कोई वृक्ष, बाग तथा निर्माण नहीं है। विक्रेतागण द्वारा विक्रय विलेख अंकित व निष्पादित करने में किसी प्रकार की कोई अवरोध नहीं है और विक्रेतागण वर्तमान विक्रय-विलेख अंकित व निष्पादित करने हेतु सक्षम हैं।
- (5) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि मौजा तपोवन, पट्टी धमान्दस्थूँ, परगना व तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्रेतागण उत्तराखण्ड राज्य के मूलखातेदार की श्रेणी में आते हैं, क्रेतागण के परिवार में उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के पूर्व से अचल सम्पत्ति विद्यमान है। जिस कारण वर्तमान विक्रय विलेख के निष्पादन में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (यथासंशोधित उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या-1 वर्ष 2007) के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

*[Handwritten signatures and dates]*

367  
23



जाराखण्ड UTTARAKHAND

499041

[13]


- (6) यह कि इस विक्रय विलेख में जहां जहां शब्द विक्रेतागण व क्रेतागण आया है, उससे उसका तात्पर्य व अर्थान्तर, उसके हित प्रतिनिधि, अन्तरिती, वारिसान, प्रतिनिधि व दायद से लगाया जावेगा व समझा जावेगा।

विवरण भूमि

भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी संख्या-41 एवं नया खाता खतौनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-65 नया खसरा संख्या-25 मि० कुल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल है। जिसकी दिशाये निम्न प्रकार है :-

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| पूरब में   | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 67 फुट 5 इंच,       |
| पश्चिम में | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 50 फुट,             |
| उत्तर में  | - | बरसाती नाला, सीमा नाप 58 फुट 5 इंच,         |
| दक्षिण में | - | 18 फुट चौड़ा रास्ता, सीमा नाप 54 फुट 5 इंच। |

*[Handwritten signatures and marks]*



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

693856

[14]

अतः यह विक्रय-विलेख उपरोक्त दिनांक, माह व वर्ष को विक्रेतागण व क्रेतागण ने साक्षीगणों के समक्ष अंकित कर हस्ताक्षरित कर दिया है, ताकि समय पर उपयोगी हो।

(श्रीमति मीता जौहर)  
द्वारा मुख्तारैआम श्री मानव जौहर  
विक्रेता संख्या-1

(श्री निशांत मलिक)  
विक्रेता संख्या-2

(श्री हर्षित मलिक)  
द्वारा मुख्तारैआम  
श्री निशांत मलिक  
विक्रेता संख्या-3

(श्री निखिल गोयल)  
क्रेता संख्या-1

(श्री अमित गोयल)  
क्रेता संख्या-2

(श्री बंशी कुमार मित्तल)  
क्रेता संख्या-3

(श्री संजय अग्रवाल)  
क्रेता संख्या-4

(श्री राजन गुप्ता)  
क्रेता संख्या-5

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, की धारा 32(ए) के अन्तर्गत अंगुलिया के निशान

विक्रेता का नाम :- श्रीमान श्री/श्रीमती श्री/श्री/श्री/श्री हस्ताक्षर [Signature]

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बाँया हाथ					
दाँया हाथ					

विक्रेता का नाम :- श्रीमान श्री/श्रीमती श्री/श्री/श्री/श्री हस्ताक्षर [Signature]

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बाँया हाथ					
दाँया हाथ					

क्रेता का नाम :- श्रीमान श्री/श्रीमती श्री/श्री/श्री/श्री हस्ताक्षर [Signature]

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बाँया हाथ					
दाँया हाथ					

[Signatures]  
श्रीमान श्री/श्रीमती श्री/श्री/श्री/श्री

370

12/6/2023

26

Amur 2/2



## Online Public Data Entry Summary

\*UKPDE2023090101400\*

DISTRICT NAME : हरि नगर SRO

Veri: 8 LOCKED

DefinNo: 2191-1

UKPDE2023090101400 From 16 Feb 2023

10-Jul-2023

1 25 02PM

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo

Mutation Office तहसील नरेन्द्रनगर

Deed/Article Type Sale (Immovable)

Sub-Deed/Sub-Article Sale(Residential Plot)

Village/Location For Index तपोवन

Village/Location/Road Selected for Circle Rate List तपोवन

Khasra : 27ka Khazoni : 86

House/Flat No:

Area : 94.0900 वर्ग मीटर

Latitude 30.1328610000

Longitude 78.321170000

Land Value : 2,659,000.00

Construction Value : 0.00

Transaction Value : 2,659,000.00

Market Value : 2,659,000.00

Advance : 0.00

Lease Period : 0.00

Avg. Rent : 0.00

Stamp Duty : 133,000.00

Regn Fees : 25,000.00

Pasting Fees : 100

Page : 24

ध्वसाविक निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण का प्रकार	विवरण			
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण एत	बात वर्ष	एत
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र.सं	पुनर्दान की विधि	बतराशि	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	25,000.00			
स्टाम्प शुल्क का विवरण					
क्र.सं	पुनर्दान की विधि	बतराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टाम्प विवेक नं.सं
1	e-Stamp	133,000.00		5-Jul-2023	

Rajni

Rajni

Appointment Date:

Appointment Time: 371

Appointment Token No:

22

Station Office तहसील नरेन्द्रनगर

पञ्चकारों का विवरण


कार का प्रकार	पञ्चकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवस्था	वेब नं	मोबाइल नं	सहायक पत्र संख्या
1/ अथवा 2/	श्रीमती रानी चर्मीया पत्नी श्री मोहन कुमार विवाही भागीदार बाग दिन्डी	<i>Rajni</i>	PRIVATE JOB	AEMPM152 6P	9811847880	ADHAAR : 3100 8573 7547
1/ द्वितीय पक्ष	श्री अनुम देहरा पुत्र श्री सुकन्याम सिंह विवाही हीनकीन्ड बन्दी, कटिवावाह हरिवावा	<i>Anu</i>	PRIVATE JOB	AQJPA2099 L	9716067555	ADHAAR : 2483 1036 1435
1/	श्री मोहन भागदाम पुत्र श्री दुष्यन्त भागदाम विवाही गेहान मिन्ना, मुन्डकरामनर उसर प्रदेश	<i>Mohan</i>	PRIVATE JOB		8273825984	ADHAAR : 3314 7381 3616
1/	श्री निरम सिंह पुत्र श्री नीरम सिंह विवाही मुचानीवावा कर्मिकेत जिना देहरापुन	<i>Niram</i>	PRIVATE JOB		8126498148	ADHAAR : 6112 8120 5285

Deed Writer /Advocate Name : Atul Bisht



372

28



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK62580589296883V  
Certificate Issued Date : 10-Jul-2023 06:54 PM  
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1207304/ RISHIKESH/ UK-DH  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK120730431287547198899V  
Purchased by : ATUL NEHRA  
Description of Document : Article 23 Conveyance  
Property Description : MAUZA TAPOVAN TEHRI GARHWAL  
Consideration Price (Rs.) : 26,59,000  
(Twenty Six Lakh Fifty Nine Thousand only)  
First Party : RAJNI MAKHIJA  
Second Party : ATUL NEHRA  
Stamp Duty Paid By : ATUL NEHRA  
Stamp Duty Amount:(Rs.) : 1,33,000  
(One Lakh Thirty Three Thousand only)



*Rajni*  
*Atul Nehra*

0039929651

## दूरी प्रमाण पत्र

महोदय,

नाचोपरान्त पाया गया कि ग्राम लपौवन  
 तहसील सैद नगर जिला तेहरी गढ़वाल  
 भूमि खाता सं० 86 खसरा नम्बरान 27 क  
 क्षेत्रफल ..... मुख्य राजमार्ग वर्धवा  
 मोटर मार्ग से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित।

10/10/19  
 10/10/19  
 10/10/19  
 10/10/19

Rajwade  
 10/10/19  
 10/10/19

### गौके की फोटो

प्रथमपक्ष / विक्रेता:- श्रीमती रजनी गखीजा पत्नी श्री गहेश कुमार निवासी-प्लेट नं० 67-डी, ब्लॉक बी०डब्ल्यू०, शालीगार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088।

विक्रेता .....

द्वितीयपक्ष / क्रेता:- श्री अतुल नेहरा पुत्र श्री सुक्रगपाल सिंह निवासी- 3303, द्वितीय पलोर, ब्लॉक-सी, ग्रीनाफील्ड बस्ती, निकट गुरुद्वारा फरीदाबाद, हरियाणा- 121001।

क्रेता .....

### ( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिधरी भूमि, खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 68 मि०जु०) विक्रीत रकबा 112.5 वर्ग गज यानि 94.09 वर्ग मीटर यानि 0.0094 हैक्टेयर स्थित वार्ड नं० 1, मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

दिनांक 11.07.2023



Rajni

ह० विक्रेता .....

ह० क्रेता .....

Atul Nehra

## विक्रय पत्र

प्रमुख क्षेत्र  
बद्रीनाथ-देवप्रयाग मुख्य राडक रो दूरी -  
सर्किल दर  
तथा भूमि पर आवगमन हेतु रास्ता 5 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम चौड़ा होने की दशा में सामान्य दर पर 5 प्रतिशत अधिक यानि 28.252/रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन किया गया।

नगर पंचायत क्षेत्र।  
200 मीटर से बाहर।

26.906/रुपये प्रति वर्ग मीटर

क्रैता	-	पुरुष।
मौजा	-	तपोवन।
क्षेत्रफल	-	94.09 वर्ग मीटर।
निर्माण क्षेत्रफल	-	निर्माण नहीं है।
मालियत विक्रय पत्र जिस पर स्टाम्प दिया-	-	26.59,000/रुपये।
बाजारी मूल्य	-	26.59,000/रुपये।
भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
कुल स्टाम्प शुल्क	-	1,33,000/रुपये।
Latitude	-	30.132861
Longitude	-	78.321117
ई-स्टाम्प सं०	-	IN-UK .....

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती रजनी गखीजा (PAN-AEMPM1526P) पत्नी श्री महेश कुमार निवासी-प्लैट नं० 67-डी, ब्लॉक बी०डब्लु०, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088। विक्रेता .....

द्वितीयपक्ष/क्रैता:- श्री अतुल नेहरा (PAN-AQJPA2099L) पुत्र श्री सुक्रमपाल सिंह निवासी- 3303, द्वितीय फ्लोर, ब्लॉक-सी, ग्रीनफील्ड बस्ती, निकट गुरुद्वारा फरीदाबाद, हरियाणा- 121001। क्रैता .....

## ( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिधरी भूमि, खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 86, मि०जु०) विक्रीत रकबा 112.5 वर्ग गज यानि 94.09 वर्ग मीटर यानि 0.0094 हेक्टेयर स्थित वार्ड नं० 1, मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

यहकि विक्रीत भूमि विक्रेता के स्वामित्व वाली भूमि है तथा विक्रीत भूमि विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की है।

विक्रेता :- श्रीमती रजनी गखीजा, आधार कार्ड सं० 3100 6573 7547

क्रैता :- श्री अतुल नेहरा, आधार कार्ड सं० 2483 1036 1435

गवाह :- श्री मोहन भारद्वाज, आधार कार्ड सं० 3314 7381 3616

गवाह :- श्री तिलक सिंह, आधार कार्ड सं० 6112 8120 5285

यहकि नगर पंचायत तपोवन को उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग -3, शासनादेश सं० 1853/(2)/IV(3)/2021-01(2न०नि०) दिनांक 27.12.2021 को तपोवन घुघत्यापी तल्ली, घुघत्यापी मल्ली, पाथे मध्ये बिलखेत, तोक एंव जामरीकाटल को नवगठित नगर पंचायत क्षेत्र तपोवन के रूप में गठित किया गया है।

Rajni

Atul



-2-

## विक्रय पत्र

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी-फ्लैट नं० 67-डी, ब्लॉक बी०डब्ल्यू०, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088।

विक्रेता .....

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्री अतुल नेहरा पुत्र श्री सुक्रमपाल सिंह निवासी- 3303, द्वितीय फ्लोर, ब्लॉक-सी, ग्रीनफील्ड बस्ती, निकट गुरुद्वारा फरीदाबाद, हरियाणा- 121001।

क्रेता .....

जोकि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है की विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, कर्जा, सरकारी, गैर सरकारी, पारिवारिक वाद-विवाद, कुर्की, अदालत आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली से क्रय की हुई है, जिसके विक्रय पत्र के का पंजीकरण बही नं० 1 जिल्द 492 पृष्ठ 397 से 424 पर दरतावेज नं० 153 पर दिनांक 14.02.2019 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल में विधिवत पंजीकृत है, तथा क्रय की तिथि से विक्रेता वर्णित भूमि पर काबिज चले आ रहे है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि पूर्व विक्रेता श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर ने भूमि बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 412 पृष्ठ 59 से 84 दरतावेज नं० 789 पर दिनांक 25.10.2017 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल में विधिवत पंजीकृत है।

यहकि श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह ने वर्णित भूमि बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन निवासी- तपोवन पट्टी धमान्दरयू, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून से क्रय की है, जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 298 के पृष्ठ 1018 से 1025 में दरतावेज नं० 1200 पर दिनांक 15.12.2012 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल में विधिवत पंजीकृत है व पूर्व विक्रेता श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन ने वर्णित भूमि बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री पुष्कर सिंह, मकान सिंह पुत्रगण स्व० बहादुर सिंह व श्रीमती झडी देवी एवं श्रीमती शेखरी देवी उर्फ शेखरी देवी दोना पत्नीयां स्व० बहादुर सिंह निवासी- तपोवन तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल से क्रय की है, जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 235 के पृष्ठ 209 से 224 में दरतावेज नं० 85 पर दिनांक 15.01.2008 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल में विधिवत पंजीकृत है।

Rajni

Atul

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में बतौर सक्रमणीय भूमिधर अंकित व दर्ज चली आ रही है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में, बिना किररी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन अपनी स्वेच्छा से क्रेता श्री अतुल नेहरा पुत्र श्री सुक्रमपाल सिंह को मु० 26,59,000 / रूपये (छब्बीस लाख उनसठ हजार रूपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा सगरत विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न प्रकार से प्राप्त की :-

मु० 10,00,000 / रूपये (दस लाख रूपये) द्वारा आर०टी०जी०एस० सं० IDFBR-52023021900637685, दिनांकित 19.02.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु० 10,00,000 / रूपये (दस लाख रूपये) द्वारा आर०टी०जी०एस० सं० IDFBR-52023070200371353, दिनांकित 02.07.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु० 6,59,000 / रूपये (छः लाख उनसठ हजार रूपये) द्वारा आर०टी०जी०एस० सं० IDFDR52023070700421447 दिनांकित 07.07.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

इस प्रकार सौदे की कुल राशि मु० 26,59,000 / रूपये (छब्बीस लाख उनसठ हजार रूपये) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है।

इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे।

यहकि क्रेता आज से विक्रेता के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है। वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेता को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसी लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि- आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेता की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि - आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानों की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेता की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्ज खर्च सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेता के उत्तराधिकारी, हित - प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षों के मध्य सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेंगे।

Rajni

W. S. S. S.

वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

यहकि विक्रेता-विक्रीती अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

यहकि विक्रेता एवं क्रेता/उभयपक्ष विदेशी नागरिक नहीं है, तथा विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नहीं है, इसके अतिरिक्त उभय पक्ष पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्री लंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल तथा भूटान के नागरिक नहीं है बल्कि पक्षकार भारतीय नागरिक है।

यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड़, बाग या निर्माण आदि नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

यहकि विक्रीत भूमि औद्योगिक बस्ती में नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि वार्ड नं० 1, मौजा - तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है।

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचारार्थन नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 94.09 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर 5 प्रतिशत मय रोड राईडर सहित मु० 28,252/रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का मुल्यांकन मु० 26,59,000/रुपये होता है जिस पर नियमानुसार पर स्टाम्प शुल्क 1,33,000/रुपये अदा किया गया है।

( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिधरी भूमि, खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 66 मि०जु०) विक्रीत रकबा 112.5 वर्ग गज यानि 94.09 वर्ग मीटर यानि 0.0094 हेक्टेयर स्थित वार्ड नं० 1, मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी दिशाये इस प्रकार है:-

पूरब में - भूमि बालियान जी।  
पश्चिम में - भूमि तिलक सिंह, जो कि आज ही अन्य विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की जा रही है।  
उत्तर में - खाला।  
दक्षिण में - सड़क लगभग 25 फीट चौड़ी।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

1- पक्षकार विक्रेता	नाम	श्रीमती रजनी मखीजा	हस्ताक्षर
बाया हाथ (Left Hand) अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका
			कनिष्ठा

दायां हाथ (Right Hand) अंगूठा तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा

विज्ञापन एवं सेवा के कथनानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्थिति :-  
अर्जेंट प्रोसेसिंग  
एडमिनिस्ट्रेशन

सम गवाहन के समस्त दस्तावेजों (विज्ञापन व सेवा) से इस लेख पर पर  
अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं, विज्ञापन और/सम्पत्ति के स्थानित व विक्रय मूल्य के  
अनुमान व प्रति के सम्बन्ध में सम गवाहन को कोई जानकारी नहीं है।

श्री लिलक सिंह  
पुत्र श्री नारायण सिंह  
निवासी-भटतीवाला रोड  
गुमानवाला अशोकपुर  
जिला देहरादून।

श्री महेश भारद्वाज  
पुत्र श्री दुबान भारद्वाज  
निवासी-331, बंगमपुर, बरही  
गुजरापुर नगर, देहरादून जिला  
उत्तर प्रदेश।

हो गवाह

हो गवाह  
Mehesh Bhardwaj

(श्री अर्जुन नेहरो)

(श्रीमती रजनी मखीजा)


हो सेवा  
[Signature]

हो विज्ञापन  
[Signature]

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 11.07.2023 ई0 को स्थान देवप्रयाग जिला देहरादून में विज्ञापन द्वारा गवाहन के समस्त दस्तावेजों से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जाकर पर काम आवे।



दाया हाथ: (Right Hand) अर्जुन नेहरो  
मध्यमा  
अनामिका  
कनिष्ठा



श्री अर्जुन नेहरो  
मध्यमा  
अनामिका  
कनिष्ठा

2- पक्षकार सेवा  
बाया हाथ: (Left Hand) अर्जुन नेहरो  
नाम


-5-

[Signature]

55

बही संख्या 1 जिल्द 635 के पृष्ठ 145 से 166 पर क्रमांक 1216

पर आज दिनांक 14 Jul 2023 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /  
उप-निबंधक, देवप्रयाग  
14 Jul 2023





## Online Public Data Entry Summary



DISTRICT NAME: विदर्भ जिला SRO: देवघाट

UKPDE2019090100225

13-Feb-2019

1:34:08PM

Appointment Date:

Appointment Time

15 Feb 2019

Appointment TokenNo

Land/Article Type

Sale (Immovable)

Sub-Use/Sub-Article

Sale (Residential Plot)

Village/Location For Index

नमोवन (50 मीटर से बाहर) (कृषिकेन्द्र - देवघाट - बडीगांधी रोड मार्ग में 30 मी और 50 मीटर से बाहर)

Village/Location/Road Selected for Circle Rate List

नमोवन (50 मीटर से बाहर) (कृषिकेन्द्र - देवघाट - बडीगांधी रोड मार्ग में 30 मी और 50 मीटर से बाहर)

Khasra

Khatoni

86

Khasra

27ka

House/Flat No

Area

188.19 वर्ग मीटर

Latitude

30.1325000000

Longitude

78.3216010000

Land Value

2,350,000.00

Construction Value

0.00

Transaction Value :2,400,000.00

Market Value :2,350,000.00

Advance

0.00

Lease Period

0.00

Avg Rent

0.00

Stamp Duty :90,000.00 ✓

Regn Fees :25,000.00

Words

1,000

Page

28

स्ववसाधिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं.	निर्माण का प्रकार	वर्ग			
स्ववसाधिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं.	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण वर्ग	आवक	वर्ग
निबंधक मूल्य का विवरण					
क्र.सं.	बुधवार की विधि	व्यय	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	25,000.00			
स्टाम्प मूल्य का विवरण					
क्र.सं.	बुधवार की विधि	व्यय	संदर्भ क्रमांक	वारी दिनांक	स्टाम्प विवेका कार्य
1	e-Stamp	90,000.00		13-Feb-2019	

Sli ma

Rajni

Appointment Time


Appointment TokenNo:

व्यक्ति का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पिन नं	वीकडन नं	पहुंचान पर वेकडन
श्री. विवेक कुमार शर्मा जी (सहायक विभागीय प्रमुख, अति, अर विभाग, मद्रास, दिल्ली)	<i>Sharma</i>	OTHERS	AI JH00145 P ✓		ADHAAR 2055 1478 4411
श्रीमती. कवी मल्लीका शर्मा जी (महेश कुमार शर्मा जी के साथ, अति, अर विभाग, मद्रास, दिल्ली)	<i>Kajri</i>	OTHERS	AEMPM162 6P ✓		ADHAAR 3100 6573 7547
श्री. अमरपाल सिंह शर्मा जी (अध्यापक, विभागीय अति, मद्रास)	<i>Amrpal</i>	OTHERS			ADHAAR 3841 8174 9306
श्री. महेश कुमार शर्मा जी (महेश कुमार शर्मा जी के साथ, अति, अर विभाग, मद्रास, दिल्ली)	<i>Mahesh</i>	OTHERS			ADHAAR 8821 2834 4439

Deed Writer /Advocate Name: atul bhatt

153-385019

39




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK03913233399592R  
Certificate Issued Date : 13-Feb-2019 02:07 PM  
Account Reference : NONACC (SV) uk1207304/ RISHIKESH/ UK-DH  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK120730409489748138194R  
Purchased by : RAJNI MAKHIJA  
Description of Document : Article 23 Conveyance  
Property Description : MAUZA TAPOVAN NARENDRA NAGAR TEHRI GARHWAL  
Consideration Price (Rs.) : 24,00,000  
(Twenty Four Lakh only)  
First Party : SEEMA  
Second Party : RAJNI MAKHIJA  
Stamp Duty Paid By : RAJNI MAKHIJA  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 90,000 ✓  
(Ninety Thousand only)



Smt. S. Bisht  
Stamp Vendor  
Court Compound, Rishikesh

Please write or type below this line.

Seema

Rajni

0004334495

विक्रय पत्र

प्रमुख क्षेत्र	-	ग्रामीण क्षेत्र।
बद्रीनाथ-देवप्रयाग मुख्य सड़क से दूरी-	-	लगभग 200 मीटर।
सर्किल दर	-	11,884/रूपये प्रति वर्ग मीटर
तथा भूमि पर आवगमन हेतु रास्ता 5 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम चौड़ा होने की दशा में सामान्य दर 11,884/रूपये पर 5 प्रतिशत अधिक यानि 12,479/रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन किया गया।	-	
क्रेता	-	महिला।
मौजा	-	तपोवन।
क्षेत्रफल	-	188.19 वर्ग मीटर।
निर्माण क्षेत्रफल	-	निर्माण नहीं है।
मालियत विक्रय पत्र जिस पर स्टाम्प दिया-	-	24,00,000/रूपये। ✓ ✓
बाजारी मूल्य	-	23,50,000/रूपये।
भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
कुल स्टाम्प शुल्क	-	90,000/रूपये। ✓
Latitude	-	30.132500
Longitude	-	78.321601 ✓
ई-स्टाम्प सं०	-	IN-UK .....

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती सीमा (PAN- ALJPD0145P) पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली।

विक्रेता .....

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती रजनी मखीजा (PAN- AEMPM1526P) पत्नी श्री महेश कुमार निवासी-फ्लैट नं० 67-डी, ब्लॉक बी०डब्लु०, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088।

क्रेता .....

( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिधरी भूमि, खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 66 मि०जु०) विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर यानि 0.0188 हेक्टेयर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

यहकि विक्रीत भूमि विक्रेता के स्वामित्व वाली भूमि है तथा विक्रीत भूमि विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की है।

विक्रेता :- श्रीमती सीमा, आधार कार्ड सं० 2055 1478 4431

क्रेता :- श्रीमती रजनी मखीजा, आधार कार्ड सं० 3100 6573 7547

गवाह :- श्री गोपाल डे, आधार कार्ड सं० 3841 8174 9306

गवाह :- श्री महेश कुमार मखीजा, आधार कार्ड सं० 8871 2834 4439

यहकि क्रेता द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में पहली बार भूमि क्रय की जा रही है।

यहकि क्रेता उत्तराखण्ड यू०पी०जेड०ए०एक्ट की खातेदार नहीं है और ना ही क्रेता ने दिनांक 12.09.2003 तक राज्य के अन्दर कोई भूमि सम्पत्ति अर्जित की है क्रेता उत्तराखण्ड भू-अधिनियम सं० 129ख की धारा 154 (4)(3)(1)(क) के अन्तर्गत 250 वर्ग मीटर से कम भूमि क्रय कर रही है।

Selma

Rajni

### मौके की फोटो

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली।  
विक्रेता .....

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी- फ्लैट नं०- 67-डी, ब्लॉक बी०डब्लू०, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088।  
क्रेता .....

( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिघरी भूमि, खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 66 मि०जु०) विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर यानि 0.0188 हेक्टेयर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

दिनांक 14.02.2019



ह०

Seema

Rajni



**ATUL BISHT**  
Advocate  
Court Compound, Rishikesh



Court Compound, Rishikesh

-2-

## विक्रय पत्र

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली।  
विक्रेता .....

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी- फ्लैट नं0 67-डी, ब्लॉक बी0डब्लू0, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088।  
क्रेता .....

जोकि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है की विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, कर्जा, सरकारी, गैर सरकारी, पारिवारिक वाद-विवाद, कुर्की, अदालत आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं0 1, जिल्द 412 पृष्ठ 59 से 84 दस्तावेज नं0 789 पर दिनांक 25.10.2017 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत् पंजीकृत है तथा क्रय की तिथि से विक्रेता वर्णित भूमि पर काबिज चले आ रहे है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि पूर्व विक्रेता श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह ने वर्णित भूमि बंजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन निवासी- तपोवन पट्टी धमान्दस्यू, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून से क्रय की है, जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं0 1, जिल्द 298 के पृष्ठ 1018 से 1025 में दस्तावेज नं0 1200 पर दिनांक 15.12.2012 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत् पंजीकृत है व पूर्व विक्रेता श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन ने वर्णित भूमि बंजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री पुष्कर सिंह, मकान सिंह पुत्रगण स्व0 बहादुर सिंह व श्रीमती झडी देवी एवं श्रीमती शेखरी देवी उर्फ शेपरी देवी दोना पत्नीयां स्व0 बहादुर सिंह निवासी- तपोवन तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढवाल से क्रय की है, जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं0 1, जिल्द 235 के पृष्ठ 209 से 224 में दस्तावेज नं0 85 पर दिनांक 15.01.2008 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत् पंजीकृत है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में बतौर सक्रमणीय भूमिधर अंकित व दर्ज चली आ रही है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

See ma

Rajni

-3-

(43)

यहकि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियो की स्वरथ दशा मे, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वेच्छा से क्रेता श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार को मु० 24,00,000/रूपये (चौबीस लाख रूपये) के प्रतिफल के बदले मे इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न प्रकार से प्राप्त की :-

मु० 8,50,000/रूपये (आठ लाख पचास हजार रूपये) द्वारा बैंक सं० 000166 कोटेक महिन्द्रा बैंक दिनांकित 12.02.2019 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु० 8,00,000/रूपये (आठ लाख रूपये) द्वारा बैंक सं० 000167 कोटेक महिन्द्रा बैंक दिनांकित 12.02.2019 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु० 7,50,000/रूपये (सात लाख पचास हजार रूपये) द्वारा बैंक सं० 000168 कोटेक महिन्द्रा बैंक दिनांकित 14.02.2019 के माध्यम से प्राप्त किये।

इस प्रकार सौदे की कुल राशि मु० 24,00,000/रूपये (चौबीस लाख रूपये) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है।

इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे।

यहकि क्रेता आज से विक्रेता के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है। वर्णित विक्रीत भूमि मे जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य मे प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेता को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखो व राजस्व अभिलेखो से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही मे विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे, तथा भविष्य मे क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतू कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेगे।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि- आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेता की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि - आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानो की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेता की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जे खर्चे सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेता के उत्तराधिकारी, हित - प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षो के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगे।

#### वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध मे विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व मे कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

यहकि विक्रेता किसी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

see me

Pajin

388

यह कि विक्रय  
भारतीय मूल के नहीं है  
अफगानिस्तान चीन  
नागरिक है।

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 153 वर्ष 2019

Sale (Immovable)	प्रतिफल रु0 : 2,400,000.00			
Sale(Residential Plot)	मालियत रु0 : 2,350,000.00			
रजिस्ट्रेशन शुल्क रु0 25,000.00	प्रतिलिपि शुल्क रु0 10.00	इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क रु0 280.00	कुल योग रु0 25,290.00	शब्द लगभग 1,000

श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी फ्लैट न० ६७-डी, ब्लॉक- बी० डब्लू०, शालीमार बाग, नार्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली ने आज दिनांक 14 Feb 2019 समय मध्य 11AM व 12PM को कार्यालय उपनिबन्धक देवप्रयाग में प्रस्तुत किया।




*Rajni*  
रजनी मखीजा

*[Signature]*  
उपनिबन्धक  
देवप्रयाग  
14-Feb-2019

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी ए-९०, ए-ब्लॉक, चंद्र विहार, मंदावली, दिल्ली । ने विक्रय धन मुबलिय रु0 2,400,000.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन केता श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी फ्लैट न० ६७-डी, ब्लॉक- बी० डब्लू०, शालीमार बाग, नार्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली । ने भी स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री गोपाल डे पुत्र श्री हीरालाल डे निवासी पौड़ी गढ़वाल तथा श्री महेश कुमार मखीजा पुत्र श्री होतू मल निवासी दिल्ली ने की।

*[Signature]*  
उपनिबन्धक  
देवप्रयाग  
14-Feb-2019



यहकि विक्रेता एवं क्रेता/ उभयपक्ष विदेशी नागरिक नहीं है, तथा विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नहीं है, इसके अतिरिक्त उभय पक्ष पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्री लंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल तथा भूटान के नागरिक नहीं है बल्कि पक्षकार भारतीय नागरिक है।

यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड, बाग या निर्माण आदि नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। ✓

यहकि विक्रीत भूमि औद्योगिक बस्ती में नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि मौजा - तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है।

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 188.19 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर 12.479/रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का मुल्यांकन मु० 23,50,000/रुपये होता है तथा दोनो पक्षों के मध्ये भूमि का सौदा मु० 24,00,000/रुपये में तय हुआ है, जिस पर नियमानुसार अधिकतम पर स्टाम्प शुल्क 90,000/रुपये अदा किया गया है।

यहकि विक्रीत भूमि/प्रश्नगत भूमि Real Estate Act 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate (Regulation and Development (General) Rules 2017 में परिभाषित "Real Estate Project Land" के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत भूमि है, विक्रीत भूमि किसी ग्रुप हाउसिंग Mixed Development Project, (आवासीय, व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रोजेक्ट) एवं व्यवसायिक प्रोजेक्ट अथवा Plotted Development Project, से सम्बन्धित नहीं है एवं विक्रेता Promoter/Developer अथवा Real Estate Agent नहीं है।

### ( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिधरी भूमि, खाता खतौनी सं० 88 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 66 मि०जु०) विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर यानि 0.0188 हैक्टेयर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी दिशाये इस प्रकार है:-

- पूरब में - भूमि मानव जौहर आदि, सीमा नाप 71 फीट।  
 पश्चिम में - भूमि श्री देशवाल, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच।  
 उत्तर में - खाला, सीमा नाप 28 फीट 6 इंच।  
 दक्षिण में - सडक लगभग 25 फीट चौड़ी, सीमा नाप 30 फीट।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

1- पक्षकार	विक्रेता	नाम	श्रीमती सीमा	हस्ताक्षर	See me
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा	

दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
------------------------------	--------	--------	---------	---------

See me

Rajeev

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 153 वर्ष 2019



*Seema*

सीमा




*Rajni Mahija*

रजनी मधीजा



*Mohan De*


मोपाल डे



*Mahesh Kumar Mahija*

महेश कुमार मधीजा

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /  
उप-निबंधक, देवप्रयाग

14 Feb 2019

भारत सरकार  
Unique Identification Authority of India  
Government of India

भागीकरण क्रम/Enrolment No.: 1007/21172/00163

To

Download by

Sagh

Generation Date: 06/03/2013

Signature valid

Digitally signed by Unique Identification Authority of India, DN: cn=Unique Identification Authority of India, o=Ministry of Information and Public Relations, ou=Government of India, email=uidai@nic.gov.in, c=IN



के.ए.ए.

आपका 3

ar No. :

3

47

मेरा 3

हचान



392  
392

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

P



13122006

मे

Signature



आधार - आम

आधिकार

मे

भारत सरकार



आधार - आम आदमी का अधिकार

मे

भारत सरकार

887

39319

रिपोर्ट



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



आधार प्रमाणिकरण प्राधिकरण  
AUTHORITY OF INDIA

विवरण  
W/O 7  
ए.ए.ए.  
काली  
महाराष्ट्र  
इन्डिया

ए.ए.ए.ए.  
ए.ए.ए.ए.  
ए.ए.ए.ए.



अधिकार

Aadhaar - Harin Aadmi Ka Adhikaar

Suma विद्युत

## नक्शा


प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली।  
विक्रेता .....

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती रजनी मखीजा पत्नी श्री महेश कुमार निवासी- फ्लैट नं० 67-डी, ब्लॉक बी०डब्लु०, शालीमार बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110088।  
क्रेता .....


( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिघररी भूमि, खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० (पुराना खाता सं० 41 फसली वर्ष 1400 से 1405 के अनुसार साविक खसरा नं० 66 मि०जु०) विक्रीत रकबा 226 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर यानि 0.0188 हैक्टेयर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

दिनांक 14.02.2019



खाला, सीमा नाप 28 फीट 6 इंच।



भूमि श्री देशवाल, सीमा  
नाप 67 फीट 6 इंच।

भूमि मानव जौहर आदि,  
सीमा नाप 71 फीट।

सडक लगभग 25 फीट  
चौडी, सीमा नाप 30 फीट।

ह० विक्रेता .....  
*Seema*

ह० क्रेता .....  
*Rajni*


-5-

2- पक्षकार क्रेता  
बाया हाथ: (Left Hand) अंगूठा

नाम  
तर्जनी

श्रीमती रजनी मखीजा  
मध्यमा अनामिका

हस्ताक्षर  
कनिष्ठा



दायां हाथ: (Right Hand) अंगूठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 14.02.2019 ई० को स्थान देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल, में विक्रेता द्वारा गयाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह० विक्रेता

Seema

ह० क्रेता

Rajni

(श्रीमती सीमा)

(श्रीमती रजनी मखीजा)

ह० गवाह

Gopal Dey

ह० गवाह

Mohesh Kumar

श्री गोपाल डे  
पुत्र श्री हीरालाल डे  
निवासी- लक्ष्मण झूला, जाँक  
जिला पौड़ी गढ़वाल।

श्री महेश कुमार मखीजा  
पुत्र श्री होतु मल  
निवासी- शालीमार बाग,  
दिल्ली।

विक्रेता एवं क्रेता के कथनानुसार रचियता व गवाहों की शिनाख्त पर फोटो प्रमाणितकर्ता:-

टंकण मेरे कार्यालय में किया गया।

अतुल बिष्ट,


Advocate

Advocate


Joint Commission, Rishikesh



बही संख्या 1 जिल्द 492 के पृष्ठ 397 से 424 पर क्रमांक 153  
 पर आज दिनांक 14 Feb 2019 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

  
 रजिस्ट्रीकता अधिकारी /  
 उप-निबंधक, देवप्रयाग  
 14 Feb 2019

बा. सं. 309/2018-19  
 बा. सं. 34- ग. सं. 70 अ.  
 बा. सं. 20-8-2019 पर 14.02.2019 को  
 को सं. 23-12-2019

  
 रजिस्ट्रार कानूनगो  
 बड़सोल नरेंद्रनगर।





399

55

Anurag 2/4

# Online Public Data Entry Summary



UKPDE2017090100863

ACT NAME दिहरी गडवान SRO देवप्रसाद

25-Oct-2017

9:46:51AM

789.2-2017

Lockod

Deed Article Type: Sale (Immovable)  
 Sub-Deed/Sub-Article: Sale(Residential Plot)  
 Village/Locaton: मणोवन (50 मीटर से बाहर) [कचिकेश - देवप्रसाद - बडीगाव मोटर बाजार से दोनो ओर 50 मीटर से बाहर]  
 Area: 188.1900 वर्ग मीटर  
 Transaction Value: 2,216,000.00 Market Value: 2,216,000.00 Regn Fees: 25,000.00 Stamp Duty: 83,100.00  
 Advance: 0.00 Lease Period: 0.00 Avg Rent: 0.00 Construction Value: 0.00  
 Khastia: 27ka Khatoni: 85 Khewal: House/Flat  
 Land Value: 2,216,000.00 Page: 16 Words: 1,000 Deed Writer: Advocate Name: ahul bishit

व्यवसायिक निर्माण का विवरण						
क्र.सं.	निर्माण का प्रकार	रकम	विवरण			
आवासीय निर्माण का विवरण						
क्र.सं.	निर्माण लेख	निर्माण का प्रकार	निर्माण मूल्य	विवरण		
निबंधक शुल्क का विवरण						
क्र.सं.	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक			
1	Cash	25,000.00				
स्टाम्प शुल्क का विवरण						
क्र.सं.	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक		
1	e-Stamp	83,100.00		25-Oct-2017		
पक्षकारों का विवरण						
पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पिन नं.	मोबाइल नं.	पहचान पत्र संख्या
विचाराधीन: प्रथम पक्ष	श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री प्रमोद सिंह	<i>Permythia</i>	OTHERS	ADJPK2270		ADHAAR 8210 1071 8033
द्वितीय पक्ष	श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवामी निन्दी	<i>See ma</i>	OTHERS	ALJPD0145		ADHAAR 2055 1478 4431
तृतीय पक्ष	श्री कुलविन्द सिंह पति श्री प्रमोद सिंह निवामी कचिकेश	<i>Kulvinder</i>	OTHERS	P		DL UK1420170103305
चतुर्थ पक्ष	श्री मन्देश सिंह पति श्री मन्देश सिंह निवामी कचिकेश	<i>Mandesh</i>	OTHERS			ADHAAR 9456 5128 9994

789-7-2017 400

(56)




सत्यमेव जयते

**INDIA NON JUDICIAL**  
**Government of Uttarakhand**

**e-Stamp**

Certificate No. : IN-UK38684391786315P  
Certificate Issued Date : 25-Oct-2017 10:15 AM  
Account Reference : NONACC (SV) uk1207304/ RISHIKESH/ UK-DH  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK120730477855237599851P  
Purchased by : SEEMA ✓  
Description of Document : Article 23 Conveyance ✓  
Property Description : KHATA NO 86 AREA 188.19 SQ. MTR MAUZA TAPOVAN TEHRI GARHWAL  
Consideration Price (Rs.) : 22,16,000 ✓  
(Twenty Two Lakh Sixteen Thousand only)  
First Party : PARAMJEET KAUR ✓  
Second Party : SEEMA  
Stamp Duty Paid By : SEEMA  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 83,100  
(Eighty Three Thousand One Hundred only)



Smt. S Bisht  
Stamp Vendor  
Court Compound, Rishikesh

Please write or type below this line.....

Paramjit Kaur.

SEEMA

0001793391

Cautionary Alert

This is a computer generated document. To verify the validity of this document, please visit the website [www.tribesstamp.com](http://www.tribesstamp.com). Any discrepancy in the details of the certificate should be reported to the undersigned immediately. The undersigned is not responsible for any loss or damage caused by the use of this document.

### मौके की फोटो

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी-  
5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून। विक्रेता .....

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक,  
चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली। क्रेता .....

( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिधरी भूमि खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1419 से 1419 के  
अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.  
19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी  
गढ़वाल।

दिनांक 25.10.2017



परमजीत कौर

सीमा

विक्रय पत्र

प्रमुख क्षेत्र	-	ग्रामीण क्षेत्र।
देवप्रयाग-बद्रीनाथ मुख्य सड़क से दूरी-	-	200 मीटर से अधिक।
सर्किल दर	-	11,211/रूपये प्रति वर्ग मीटर
तथा भूमि पर आवगमन हेतु रास्ता 5 मीटर से कम व 12 मीटर से अधिक चौड़ा होने की स्थिति में सामान्य दर 11,211/रूपये पर 5 प्रतिशत अधिक यानि 11,772/रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया।		
क्रेता	-	महिला।
मौजा	-	तपोवन।
क्षेत्रफल	-	188.19 वर्ग मीटर।
निर्माण क्षेत्रफल	-	निर्माण नहीं है।
मालियत विक्रय पत्र	-	22,16,000/रूपये।
बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया	-	22,16,000/रूपये।
भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
कुल स्टाम्प शुल्क	-	83,100/रूपये।
ई-स्टाम्प सं०	-	IN-UK .....

02  
प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती परमजीत कौर (PAN- ADJPK2270Q) पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून।

विक्रेता .....

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती सीमा (PAN- ALJPD0145P) पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली। क्रेता .....

( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिधरी भूमि खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1419 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

यहकि विक्रीत भूमि विक्रेता के स्वामित्व वाली भूमि है तथा विक्रीत भूमि विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की है।

विक्रेता :- श्रीमती परमजीत कौर, आधार कार्ड सं० 6210 1071 8033

क्रेता :- श्रीमती सीमा, आधार कार्ड सं० 2055 1478 4431

गवाह :- श्री कुलविन्दर सिंह, DL-UK1420170103306

गवाह :- श्री राजेन्द्र सिंह, आधार कार्ड सं० 9456 5128 9994

यहकि क्रेता उत्तराखण्ड यू०पी०जेड०ए०एक्ट का खातेदार नहीं है और ना ही क्रेता ने दिनांक 12.09.2003 तक राज्य के अन्दर कोई भूमि सम्पत्ति अर्जित की है क्रेता उत्तराखण्ड भू-अधिनियम सं० 129ख की धारा 154 (4)(3)(1)(क) के अन्तर्गत 250 वर्ग मीटर से कम भूमि क्रय कर रहा है।

यहकि क्रेता द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में पहली बार भूमि क्रय की जा रही है।

Pamjit Kaur

Suomi



Comp. and, Rishikesh



A. K. BISHT

Comp. and, Rishikesh

## -2- विक्रय पत्र

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी-  
5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश जिला देहरादून। विक्रेता .....

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90, ए-ब्लॉक,  
चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली। क्रेता .....

जोकि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है का विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, कर्जा, सरकारी, गैर सरकारी, पारिवारिक वाद-विवाद, कुर्की, अदालत आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन निवासी- ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्वै, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 298 पृष्ठ 1018 से 1025 दस्तावेज नं० 1200 पर दिनांक 15.12.2012 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल में विधिवत् पंजीकृत है तथा क्रय की तिथि से विक्रेता वर्णित भूमि पर काबिज चले आ रहे है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में बतौर सक्रमणीय भूमिधर अंकित व दर्ज चली आ रही है इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वेच्छा से क्रेता श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर को मु० 22,16,000/रुपये ( बाईस लाख सोलह हजार रुपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न प्रकार से प्राप्त की :-

मु० 21,10,000/रुपये (इक्कीस लाख दस हजार रुपये) द्वारा बैंक सं० 850724 इण्डियन ओवरसीज बैंक दिनांकित 24.10.2017 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु० 1,06,000/रुपये (एक लाख छः हजार रुपये) द्वारा बैंक सं० 850725 इण्डियन ओवरसीज बैंक दिनांकित 25.10.2017 के माध्यम से प्राप्त किये।

इस प्रकार सौदे की कुल राशि मु० 22,16,000/रुपये ( बाईस लाख सोलह हजार रुपये) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है।

इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे।

यहकि क्रेता आज से विक्रेता के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है। वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेता को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि- आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेता की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि - आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानों की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेता की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्ज खर्च सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेता के उत्तराधिकारी, हित - प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित सगझे जावेगे तथा वह भी पक्षों के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगे।

#### वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

यहकि विक्रेता किसी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

यहकि विक्रेता एवं क्रेता/उभयपक्ष विदेशी नागरिक नहीं है, तथा विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नहीं है, इसके अतिरिक्त उभय पक्ष पाकिस्तान, बांगलादेश, श्री लंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल तथा भूटान के नागरिक नहीं है बल्कि पक्षकार भारतीय नागरिक है।

यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड़, बाग या निर्माण आदि नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

यहकि विक्रीत भूमि औद्योगिक बस्ती में नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि मौजा - तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है।

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 188.19 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर 11.772/रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का बाजारी मूल्य 22,16,000/रुपये होता है, जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क 83,100/रुपये अदा किया गया है।

यहकि विक्रीत भूमि / पर  
प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate  
में परिभाषित "Real Estate Project"  
सम्पत्ति है, विक्रीत सम्पत्ति किसी ग  
राज्य/राज्य

**बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 789 वर्ष 2017**

Sale (Immovable)

प्रतिफल रु0 : 2,216,000.00

Sale(Residential Plot)

मासियत रु0 : 2,216,000.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क  
रु0 25,000.00

प्रतिलिपि शुल्क  
रु0 10.00

इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क  
रु0 260.00

कुल योग  
रु0 25,270.00


शब्द लगभग  
1,000

श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी दिल्ली ने आज दिनांक 25 Oct 2017 समय मध्य 2PM व 3PM को कार्यालय उपनिबन्धक देवप्रयाग मे प्रस्तुत किया।



Seema

सीमा



उपनिबन्धक  
देवप्रयाग  
25-Oct-2017

इस लेख पत्र का निष्पादन लिख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी ऋषिकेश ने विक्रय धन मुबलिग रु0 2,216,000.00 प्रलेखानुसार परिसर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी दिल्ली ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री कुलविंदर सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह निवासी ऋषिकेश तथा श्री राजेंद्र सिंह पुत्र श्री खचेन्द्र सिंह निवासी ऋषिकेश ने की।

उपनिबन्धक  
देवप्रयाग  
25 Oct 2017

19

यहकि विक्रीत भूमि/प्रश्नगत भूमि सम्पत्ति Real Estate Act 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate (Regulation and Development (General) Rules 2017 में परिभाषित "Real Estate Project Land" के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति है, विक्रीत सम्पत्ति किसी ग्रुप हाउसिंग Mixed Development Project, (आवासीय, व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रोजेक्ट) एवं व्यवसायिक प्रोजेक्ट अथवा Plotted Development Project, से सम्बन्धित नहीं है एवं विक्रेता Promoter/Developer अथवा Real Estate Agent नहीं है।

( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिधरी भूमि खाता खतौनी सं० 86 फसली वर्ष 1419 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क मि०जु० विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी दिशाये इस प्रकार है:-


- पूरब मे - भूमि डों० पुरी आदि, सीमा नाप 71 फीट।  
 पश्चिम मे - भूमि श्री देशवाल, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच।  
 उत्तर मे - खाला, सीमा नाप 28 फीट 6 इंच।  
 दक्षिण मे - सडक 25 फीट चौडी, सीमा नाप 30 फीट।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान  
 1- पक्षकार विक्रेता नाम श्रीमती परमजीत कौर हस्ताक्षर  
 बाया हाथ:(Left Hand) अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

Pamjit K.



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 789 वर्ष 2017



Parmjit kaur

परमजीत कौर




Seema

सीमा




Rajendra Singh

राजेंद्र सिंह



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /  
उप-निबंधक, देवप्रयाग  
25 Oct 2017





सत्यमेव जयते

## INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

### e-Stamp

Certificate No. : IN-UK38682905809847P  
 Certificate Issued Date : 25-Oct-2017 10:06 AM  
 Account Reference : NONACC (SV) uk1207304/ RISHIKESH/ UK-DH  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK120730477853822991357P  
 Purchased by : SEEMA  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : -  
 Consideration Price (Rs.) : 0  
 (Zero)  
 First Party : SEEMA  
 Second Party : SEEMA  
 Stamp Duty Paid By : SEEMA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)



Smt. S. Bisht  
 Stamp Vendor  
 Court Compound Rishikesh


### शपथपत्र

समक्ष:- श्रीमान सब-रजिस्ट्रार महोदय, देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल।  
 शपथपत्र ओर से :- श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- ए-90,  
 ए-ब्लॉक, चन्द्र विहार, मंदावली, दिल्ली।

-2-

मै उपरोक्त शपथकर्ती शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करती हूँ कि :-

- 1- यहकि शपथकर्ती का उपरोक्त नाम एवं पता सत्य एवं सही है।
- 2- यहकि शपथकर्ती एतद् घोषणा करती है कि शपथकर्ती उत्तराखण्ड यू0पी0जेड0ए0एक्ट का खातेदार नहीं है और ना ही शपथकर्ती ने दिनांक 12.09.2003 तक राज्य के अन्दर कोई भूमि सम्पत्ति अर्जित की है, शपथकर्ती उत्तराखण्ड भू-अधिनियम सं0 29/03 की धारा 154 (4)(3)(1)(क)के अन्तर्गत 250 मीटर से कम भूमि क्रय कर रही है तथा सदैव अधिनियम का पालन करती रहेगी।



शपथकर्ती .....

Seema


मै उपरोक्त शपथकर्ती आज दिनांक 25.10.2017 को स्थान देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल में पुष्टि करती हूँ कि उपरोक्त बयान मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

शपथकर्ती Seema


This is a true and correct copy of the original document as shown to me by the undersigned.  
 Signed and sealed at Dehra Dun on 25/10/2017.  
 Notary Public for the State of Uttarakhand

25/10/2017  
 Seema

410 (66)





भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD  
SFJ0529800



मेरा आधार, मेरी पहचान


Age as on 10/01/2000 - 38

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

अ. ना अधिकार

UNION OF INDIA Driving Licence



INSTRUCTIONS

■ आधार पहचान का प्रयोग है, गणितकता का नहीं।  
 ■ प्रयोग का प्रमाण ऑनलाइन ऑन-टीकेयान द्वारा प्राप्त करें।  
 ■ किसी प्रकार की मदद के लिए :-  
 सौ. नं. 1800 160 1947 पर संपर्क करें, अथवा  
 सौ. नं. 1947, ईमेल-560001 पर या वेब, अथवा  
 help@uidai.gov.in पर ईमेल करें।

नोट



411 (67)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



155:  
Hiralal  
Chikesh

WIC  
हीमल  
कवि  
उत्तरा

प  
पक्षकार  
या हाथः (Left H

62  
MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

पता बदलने पर...  
नामावली में इस कथन को जोड़ें...  
in case of change in address, mention the Card Number in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number.



पता  
WIC का  
पता  
कानून  
मंत्रालय  
ईस्ट ब्लॉक

पहचान प्राधिकरण  
AUTHORITY OF INDIA

P. EXTRA  
DELHI

UK14 2017 01037

513 HIRA LAL  
DEHRADUN,  
Ranchesh Dehra

06/2017

Aadhaar

Ka Adhikaar

SUP RTU RISHIKES (DE) RADUN



2- पक्षकार क्रेता  
बाया हाथ: (Left Hand) अंगूठा

-5-  
नाम  
तर्जनी

श्रीमती सीमा  
मध्यमा अनामिका

हस्ताक्षर  
कनिष्ठा



Seema

दायां हाथ: (Right Hand) अंगूठा

तर्जनी

मध्यमा अनामिका

कनिष्ठा



अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 25.10.2017 ई० को स्थान देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विक्रेता द्वारा गवाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह० विक्रेता Paramjit Kaur

ह० क्रेता

Seema

(श्रीमती परमजीत कौर)

(श्रीमती सीमा)

ह० गवाह

[Signature]

ह० गवाह

[Signature]

श्री कुलविन्दर सिंह  
पुत्र श्री अर्जुन सिंह  
निवासी- 513, हीरालाल मार्ग  
ऋषिकेश जिला देहरादून।

श्री राजेन्द्र सिंह  
पुत्र श्री खचेदू सिंह  
निवासी- हरिद्वार रोड  
ऋषिकेश जिला देहरादून।

विक्रेता एवं क्रेता के कथनानुसार रचियता व गवाहो की शिनाख्त पर फोटो प्रमाणितकर्ता:-

अनुज सिंह  
ऋषिकेश

: Compound, Rishikesh

टंकण मेरे कार्यालय में किया गया ।

413

69

त वि

जारी मूल्य

मौजा

विक्रीत रकबा

सर्किल दर


बही संख्या 1 जिल्द 412 के पृष्ठ 59 से 84 पर क्रमांक 789

पर आज दिनांक 25 Oct 2017 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /

उप-निबंधक, देवप्रयाग

25 Oct 2017



## विक्रय पत्र

मालियत विक्रय पत्र	-	6.50,000/रु०		10,000--
बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया	-	6.59,000/रु०		5000--
मौजा	-	तपोवन ।		1000--
विक्रीत रकबा	-	188.19 वर्ग मीटर।		1000--
सर्किल दर	-	3.500/रुपये प्रति वर्ग मीटर।		500--
मुख्य मार्ग से दूरी	-	लगभग 200 मीटर से अधिक।		100--
स्टाम्प शुल्क	-	24,800/रु०		24800/-

मैंकि श्री नवीन कुमार (PAN ANKPK3699Q) पुत्र श्री श्री किशन निवासी-  
ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यूं तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल हाल  
निवासी- ग्राम धौलास, राजावाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून ।

विक्रेता .....

निम्नलिखित सम्पत्ति वाकै - भूमिधारी भूमि खाता खतौनी सं० पुराना 41 व नया  
86 खसरा नं० पुराना 66 व फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार नया खसरा  
नं० 27क का रकबा 0.3340 है० में से विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि  
188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी  
गढ़वाल ।

के मालिक व काविज है और हमारी यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, से मुक्त  
है उसको बदस्त श्रीमती परमजीत कौर (PAN ADJPK2270Q) पत्नी श्री अर्जुन सिंह  
निवासी- 5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ।

क्रेता .....

को विक्रय कर दिया है बदले मे विक्रय धन - 6,50,000/रु० ।

( छः लाख पचास हजार रुपये )

ले खानुसार

प्राप्त

किया

विक्रेता:- श्री नवीन कुमार (PAN ANKPK3699Q)

क्रेता:- श्रीमती परमजीत कौर (PAN ADJPK2270Q )

गवाह:- श्री कपिल गुप्ता, पहचान पत्र सं० JGB2417202

गवाह:- श्री राजेश अग्रवाल, पहचान पत्र सं० JGB2337517

Paramjit Kaur . 2.



-2-

विक्रय पत्र

मैंकि श्री नवीन कुमार पुत्र श्री श्री किशन निवासी- ग्राम तपोवन, पट्टी  
धमान्दस्यू तहसील नरेन्दनगर, जिला टिहरी गढवाल हाल निवासी- ग्राम  
घौलास, राजावाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून ।

विक्रेता .....

एवं

श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार  
मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ।

क्रेता .....

जोकि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त  
में दिया गया है का विक्रेता मालिक, स्वामी व कायिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के  
भार, बन्धन, रहन, आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में अंकित व दर्ज  
चली आ रही है, भूमि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री पुष्कर सिंह, मकान  
सिंह पुत्रगण स्व० बहादुर सिंह व श्रीमती झडी देवी एवं श्रीमती शंखरी देवी उर्फ शोपरी देवी  
दोनों पत्नियों स्व० श्री बहादुर सिंह निवासी तपोवन टि०ग० से क्रय किया हुआ है जिसका  
पंजीकरण बही नं० ०१ जिल्द 235 के पृष्ठ 209 से 224, दरतावेज नं० 85, दिनांकित  
15.01.2008 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय देवप्रयाग में विधिवत् दर्ज है, इस प्रकार विक्रेता  
को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

यहकि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व  
इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वच्छा  
से क्रेता श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह को मु० 6,50,000/रुपये  
( छ लाख पचास हजार रूपये ) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से  
विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर  
हरताक्षर करने से पूर्व प्राप्त कर ली है, इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना  
देना शेष नहीं रहा है, कब्जा भोंके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि  
विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि  
करे ।

यहकि क्रेता आज से विक्रेता के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है।  
वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे भोंके पर कायम  
आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार  
जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह  
सर्वाधिकार क्रेता को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व  
राजस्व अभिलेखों से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में  
तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव  
अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख  
या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर  
देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

Handwritten signature: *Paramjit Kaur*



यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि- आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेता की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि - आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानो की होगी ।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेता की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जे खर्चे सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे ।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है । इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेता के उत्तराधिकारी, हित - प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षों के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगे ।

### वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध मे विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व मे कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है ।

यहकि विक्रेता किसी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है ।

यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड, बाग या निर्माण आदि नहीं है ।

यहकि विक्रीत भूमि आबादी वाली भूमि है ।

यहकि विक्रीत भूमि मौजा - तपोवन, परगना व तहसील नरेन्द्रनगर, पट्टी धमान्दस्यू, जिला टिहरी गढ़वाल मे स्थित है तथा बद्रीनाथ मुख्य मोटर मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित है ।

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है ।

यहकि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 188.19 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर 3.500 /रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का बाजारी मूल्य 6.59.000 /रुपये होता है, जिसमे नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है ।

स्टाम्प शुल्क 24,800 /रुपये अदा किया गया है ।

यहकि नवीन कुमार विक्रेता मै0 डैक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो 30 फीट चौड़ा मार्ग विक्रेता की भूमि व सम्पत्ति में आने जाने हेतु निर्मित किया हुआ है उसका उपयोग व उपभोग क्रेता आने जाने हेतु करेगा तथा क्रेता महोदय को आने जाने का सुखाधिकार प्राप्त रहेगा तथा उक्त रास्ते का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा रास्ता केवल रास्ता ही रहेगा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रेता के विस्तारकर्ता मै0 डैक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो आवासीय भवन निर्मित किये है, उक्त आवासीय भवनों की सोसाइटी या भविष्य में यदि किसी सोसाइटी का निर्माण होता है तो उक्त सोसाइटी भी क्रेता के आवागमन वाले रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

यहकि क्रेता महोदय को अपनी उक्त भूमि में निर्माण हेतु समान ले जाने हेतु क्रेता द्वारा अधिकृत वाहन पर कोई भी व्यक्ति /सोसाइटी हस्तक्षेप व अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और ना ही विक्रेता / क्रेता व अन्य व्यक्ति आवागमन वाले मार्ग पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेगे ।

यहकि क्रेता उत्तराखण्ड यू0पी0जेड0ए0एक्ट की खातेदार नहीं है और ना ही क्रेता ने दिनांक 12.09.2003 तक राज्य के अन्दर कोई भूमि सम्पत्ति अर्जित की है क्रेता उत्तराखण्ड भू-अधिनियम सं0 129ख की धारा 154 (4)(3)(1)(क) के अन्तर्गत 250 वर्ग मीटर से कम भूमि क्रय कर रही है ।

Parmjit Kaur.

74

शुभिवरी सुवि  
66 व फसली

10/2/12

पद्मजीत राव  
जगन राव  
513 एम. ए. एड. नरपतेग

65व 5001

नवीन सुभा

डी. पत्राग. तणवे. पु. टी. नमनदी. व. न.  
आजोषी तणी जठवाडी

राजेश अण्वाडी

रमेश अण्वाडी

जंगाना च्याप्रीश

कापन युता 310 आर्योनेंद

नालाव वकाल च्याप्रीश

30 आर्यो डी. वि. म.

15/1/2012

8

ए. नवीन अण्वाडी (3011)    ए. पद्मजीत राव (3011)    ए. राजेश अण्वाडी (3011)    ए. नमनदी (3011)

30 आर्यो डी. वि. म.

15/1/2012



( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिधरी भूमि खाता खतौनी सं० पुराना 41 व नया 86 खसरा नं० पुराना 66 व फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार नया खसरा नं० 27क का रकबा 0.3340 है० में से विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी दिशाये इस प्रकार है:-

पूरब मे - डा० पुरी आदि की भूमि, सीमा नाप 71 फीट 1 इंच ।  
 पश्चिम मे - भूमि श्री देशवाल, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच ।  
 उत्तर मे - खाला ।  
 दक्षिण मे - 25 फीट चौडी रोड, सीमा नाप 30 फीट ।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

1- पक्षकार विक्रेता नाम श्री नवीन कुमार हस्ताक्षर VAV  
 बाया हाथ: अनुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

दायां हाथ: अनुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

2- पक्षकार क्रेता नाम श्रीमती परमजीत कौर हस्ताक्षर Parnjit K  
 बाया हाथ: अनुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

दायां हाथ: अनुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



VAV

Parnjit Kaur.

(76)

-5-

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 15.12.2012 ई० को स्थान तपोवन, मुनि की रेती जिला टिहरी गढ़वाल में विक्रेता द्वारा गवाहानु के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह० विक्रेता V.A.S.  
( नवीन कुमार )

ह० क्रेता Paramjit Kaur.  
( श्रीमती परमजीत कौर )

ह० गवाह Ramesh  
राजेश अग्रवाल  
पुत्र श्री रमेश अग्रवाल  
नि० गंगानगर, ऋषिकेश  
जिला देहरादून ।

ह० गवाह Kapil  
कपिल गुप्ता  
पुत्र श्री सच्चिदानन्द गुप्ता  
नि० आवास विकास, ऋषिकेश,  
जिला देहरादून ।


विक्रेता एवं क्रेता के कथनानुसार रचियता व गवाहो की शिनाख्यत पर फोटो प्रमाणितकर्ता:-  
ललित मोहन मिश्रा,  
एडवोकेट ।

टकण मेरे कार्यालय में किया गया ।

R

(77)

Gove



सत्यमेव जयते

Certificate No.


Certificate Issued Date

Account No.

M.H.L

15.02

अंक I 298 1018 से 1025  
 1200 15/12/2012  
Ran Datta Mishra  
 15/12/2012



(22)




सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK83389171502814Q
Certificate Issued Date	: 15-Sep-2018 02:56 PM
Account Reference	: NONACC (SV) uk1254204/ TEHR/ UK-TG
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK125420468181399292933Q
Purchased by	: ATTUL BISHT
Description of Document	: Article 24 Copy or Extract
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: NA
Second Party	: ATTUL BISHT
Stamp Duty Paid By	: ATTUL BISHT
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)

STAMPS VENDOR  
TASIL BENDRAYAG IT O.



Please write or type below this line

होमिंग - 270

1 निल 298 के पत्र 10/8/1025 FILE COPY  
 कम सख्या 1200 दिनांक 15/12/12  
 जिल्ला R.D. Misha  
 (8.1) 15/12/12  
 राजस्वार  
 दिवरी गढवा

सत्यमेव जयते  
 विप्रयाग, (दिहरी गढवा)

725773

423

29

012

प्रतिफल की प्रवृत्ति (यदि फसली वर्ष रखा जाने वाला)  
 5म सख्या  
 प्रतिफल व प्रस्तुत करने का दिनांक 15/12/2012  
 प्रतिफल या फसली का नाम परमजीत कौर  
 का पता जयपुरा 8590001

- 1- रजिस्ट्रीकरण शुल्क
  - 2- प्रतिलिपिकरण शुल्क 10880 + 20 = 10900/-
  - 3- निरीक्षण या तलाश शुल्क
  - 4- मुस्तासनामा के अधिप्रमाणिकरण के लिए शुल्क
  - 5- कमीशन शुल्क (गले 50% (गोला 4))
  - 6- विविध
  - 7- शानिक मत्ता 15/12/2012
- 1 से 6 तक का योग शुल्क प्रस्तुत करने का दिनांक 15/12/2012  
 दिनांक जब लेख्य प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण-पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा  
 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*Ranjith Mishra*  
 कल रजिस्ट्रार  
 जयपुरा (दिल्ली गेट)

शुल्क प्रस्तुत करने का दिनांक 15/12/2012

6,50,000 / ₹0 ।  
 6,59,000 / ₹0 ।  
 तपोवन ।  
 188.19 वर्ग मीटर ।  
 3,500 / रुपये प्रति वर्ग मीटर ।  
 लगभग 200 मीटर से अधिक ।  
 24,800 / ₹0 ।

599Q) पुत्र श्री श्री किशन निवासी-  
 नगर, जिला टिहरी गढ़वाल हाल  
 विकासनगर, जिला देहरादून ।  
 विक्रेता .....

ता खतौनी सं० पुराना 41 व नया

86 खसरा नं० पुराना 66 व फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार नया खसरा नं० 27क का रकबा 0.3340 है० में से विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

के मालिक व काबिज है और हमारी यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, से मुक्त है उसको बदस्त श्रीमती परमजीत कौर (PAN ADJPK2270Q) पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ।

क्रेता .....

को विक्रय कर दिया है बदले मे विक्रय धन - 6,50,000 / ₹0 ।

( छः लाख पचास हजार रूपये )

लेखानुसार प्राप्त किया ।


विक्रेता- श्री नवीन कुमार (PAN ANKPK3699Q)

क्रेता:- श्रीमती परमजीत कौर (PAN ADJPK2270Q)

गवाह:- श्री कपिल गुप्ता, पहचान पत्र सं० JGB2417202

गवाह:- श्री राजेश अग्रवाल, पहचान पत्र सं० JGB2337517

*Mishra*  
*Parmit Kour*



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

897469

विक्रय पत्र



मैंकि श्री नवीन कुमार पुत्र श्री श्री किशन निवासी- ग्राम तपोवन, पट्टी  
धमान्दस्यू, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढवाल हाल निवासी- ग्राम  
घौलास, राजावाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून ।

विक्रेता .....

एवं



श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी- 5/3, हरिद्वार  
मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ।

क्रेता .....

जोकि विक्रेता की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त  
में दिया गया है का विक्रेता मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के  
भार, बन्धन, रहन, आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

*Paramjit Kaur.*

वसुधा - 659000/-

वि. शु.	प्र. शु.	सि. शु.	अ. शु.
10000/-	+ 20/-	10020/-	1000


...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

Permyst Kaur.

Ranjita Mehta

15/12/2012

15 DEC



उत्तरांचल UTTARANCHAL

517747


2.

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में अंकित व दर्ज चली आ रही है. भूमि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री पुष्कर सिंह, मकान सिंह पुत्रगण स्व० बहादुर सिंह व श्रीमती झडी देवी एवं श्रीमती शेखरी देवी उर्फ शोपरी देवी दोनों पत्नियां स्व० श्री बहादुर सिंह निवासी तपोवन टि०ग० से क्रय किया हुआ है जिसका पंजीकरण बही नं० 01, जिल्द 235, के पृष्ठ 209 से 224, दस्तावेज नं० 85, दिनांकित 15.01.2008 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय देवप्रयाग में विधिवत् दर्ज है, इस प्रकार विक्रेता को भूमि को विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

*M. S.* Parmjit Kaur.

3.





उत्तरांचल UTTARANCHAL

541144

3.

यहकि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वेच्छा से क्रेता श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री अर्जुन सिंह को मु० 6,50,000/रुपये ( छः लाख पचास हजार रुपये ) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्राप्त कर ली है, इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे ।

यहकि क्रेता आज से विक्रेता के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है। वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेता को समान रूप से प्राप्त होंगे।

*Paramjit Kaur*

4.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

4.

503046


यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों, से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हां दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स, लगान आदि- आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेता की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि - आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानों की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेता की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्ज खर्च सहित विक्रेता से कानूनन वसूल पा लेवे।

Mark = Parmjit Kaur.





उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

627290

.6.


यहकि विक्रीत भूमि के बावत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 188.19 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर 3.500/रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का बाजारी मूल्य 6.59,000/रुपये होता है, जिसमें नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

स्टाम्प शुल्क 24,800/रुपये अदा किया गया है।

यहकि नवीन कुमार विक्रेता मै० डेक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो 30 फीट चौड़ा मार्ग विक्रेता की भूमि व सम्पत्ति में आने जाने हेतु निर्मित किया हुआ है उसका उपयोग व उपभोग क्रेता आने जाने हेतु करेगा तथा क्रेता महोदय को आने जाने का सुखाधिकार प्राप्त रहेगा तथा उक्त रास्ते का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा रास्ता केवल रास्ता ही रहेगा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रेता के विस्तारकर्ता मै० डेक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जा आवासीय भवन निर्मित किये हैं उक्त आवासीय भवनों की सोसाइटी या भविष्य में यदि किसी सोसाइटी का निर्माण होता है तो उक्त सोसाइटी भी क्रेता के आवागमन वान रास्त में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

Parmjit Kaur.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND


627291

.7.

यहकि क्रेता महोदय को अपनी उक्त भूमि में निर्माण हेतु समान ले जाने हेतु क्रेता द्वारा अधिकृत वाहन पर कोई भी व्यक्ति / सोसाइटी हस्तक्षेप व अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और ना ही विक्रेता / क्रेता व अन्य व्यक्ति आवागमन वाले मार्ग पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा ।

यहकि क्रेता उत्तराखण्ड यू0पी0जेड0ए0एक्ट की खातेदार नहीं है और ना ही क्रेता ने दिनांक 12.09.2003 तक राज्य के अन्दर कोई भूमि सम्पत्ति अर्जित की है क्रेता उत्तराखण्ड भू-अधिनियम सं0 129ख की धारा 154 (4)(3)(1)(क) के अन्तर्गत 250 वर्ग मीटर से कम भूमि क्रय कर रही है ।

*V. K. Kous*  
Parmjit Kous.



ल UTARANCHAL

521900

.8.

( विवरण विक्रीत भूमि )

भूमिधरी भूमि खाता खतौनी सं० पुराना 41 व नया 88 खसरा नं० पुराना 68 व फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार नया खसरा नं० 27क का रकबा 0.3340 है० में से विक्रीत रकबा 225 वर्ग गज यानि 188.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन, तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, जिसकी दिशाये इस प्रकार है:-

- पूरब मे - डा० पुरी आदि की भूमि, सीमा नाप 71 फीट 1 इंच ।  
 पश्चिम मे - भूमि श्री देशवाल, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच ।  
 उत्तर मे - खाला ।  
 दक्षिण मे - 25 फीट चौड़ी रोड, सीमा नाप 30 फीट ।

*W. K. K.*  
 Pamjit Kaur.

15 DEC 2011



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

G 753418

9.

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

1- पक्षकार	विक्रेता	नाम	श्री नवीन कुमार	हस्ताक्षर
बाया हाथ:	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका
				कनिष्ठा

दायां हाथ:	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
------------	---------	--------	--------	---------	---------

*V. K. Kaur*  
Parmjit Kaur.



135


91

10

(92)

भारतीय गैर न्यायिक  
एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

G 753419

.10.

2- पक्षकार

क्रेता नाम

श्रीमती परमजीत कौर

हस्ताक्षर

बाया हाथ:

अनुष्ठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



दायां हाथ:

अनुष्ठा

तर्जनी

मध्यमा


अनामिका

कनिष्ठा



अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 15.12.2012 ई० को स्थान तपोवन, मुनि की  
रेती जिला टिहरी गढ़वाल में विक्रेता द्वारा गवाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर  
निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

Paramjit Kaur.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

.11.

G 753420

ह0 विक्रेता Manish  
 ( नवीन कुमार )

ह0 क्रेता Paramjit Kour.  
 ( श्रीमती परमजीत कौर )

ह0 गवाह Ramak  
 राजेश अग्रवाल  
 पुत्र श्री रमेश अग्रवाल  
 नि0 गंगानगर, ऋषिकेश  
 जिला देहरादून ।

ह0 गवाह KS  
 कपिल गुप्ता  
 पुत्र श्री सच्चिदानन्द गुप्ता  
 नि0 आवास विकास, ऋषिकेश,  
 जिला देहरादून ।

विक्रेता एवं क्रेता के कथनानुसार रचियता व गवाहो की शिनाख्यत पर फोदो प्रमाणितकर्ता:-

ललित मोहन मिश्रा,  
 एडवोकेट ।

टंकण मेरे कार्यालय में किया गया ।

15/11/12  
15/11/12

438

(94)

श्री-म/वि  
महाराष्ट्र

श्री-म/वि  
महाराष्ट्र-महाराष्ट्र  
महाराष्ट्र

1 DEC 2012

I 298  
1208  
को रजिस्ट्रार

10/8/12

15/12/2012  
Ran Ditta Mishra

15/12/2012





उत्तराखण्ड शासन  
शहरी विकास अनुभाग-3

संख्या- /IV(3)/2021-1(2 न0नि0)/2021  
देहरादून: दिनांक 27 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) सपठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "भारत का संविधान" के भाग 9क के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत, "अनुसूची-एक" में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पंचायत तपोवन के नाम से गठित किये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1616/IV(3)/2021-1(2 न0नि)2021 दिनांक 28.10.2021 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त नगर पंचायत, तपोवन जिला टिहरी गढ़वाल का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

R.N-1152/BRK

पंजीकृत संख्या 1/2022 "अनुसूची-एक"

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या
1	तपोवन	909	62.005	3227
2	घुघत्याणी-तल्ली	934	24.614	410
3	घुघत्याणी-मल्ली	327	7.608	62
4	जामरी काटल	147	3.258	71
5	पांथो मध्ये विलखेत तोक	वन क्षेत्रान्तर्गत		120
कुल योग:-		2317	97.485	3890

(विनोद कुमार सुमन)  
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- (1)/IV(3)/2021-01(2 न0नि0)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगाभी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1853 (2)/IV(3)/2021-01(2 न0नि0)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढवाल मण्डल।
8. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)  
संयुक्त सचिव।

443

99

Annexum 218




100




445

101







TAPOVAN  
तपोवन

Ganges

730.28 m

400 m

3D

< Measure

? ↩

Move the map and add points to measure distances and area

104

148




Annexure R19



103

429



Tin No.: 05017069309

0135-2457277

BILL/CASH MIMO

9058522777

9897759984

# M/S VANSH ENTERPRISES

C-877, I.D.P.L., Virbhadra, Rishikesh, Dehradun (U.K.)

Ref. No.....713

Date: 15/7/23

Name: Atul Mehra  
Address: (Mehra) Near Decon Valley  
Taporan Tehri Garhwal

Sr.N.	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
	Supply of water tanker (21/07/23 to 15/07/23)	8	No.	400/-	3200/-
Total :					3200/-
Vat.....%					2/-
Grand Total :					3200/-

Amount (In Words) : Three thousand Two Hundred Only

E. & O.E.

For Vansh Enterprises

Authorized Signature

450

Tin No.: 05017069309

0135-2457277

BILL/CASH MIMO

9058522777

9897759984

# M/S VANSH ENTERPRISES

C-877, I.D.P.L., Virbhadra, Rishikesh, Dehradun (U.K.)

Ref. No.....726

Date: 30/8/23

Name: Atul Mehra  
Address: Near Decon Valley Taporan Tehri Garhwal

Sr.N.	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
	Supply of water tanker (21/8/23 to 30/8/23)	7	No.	400/-	2800/-
Total :					2800/-
Vat.....%					2/-
Grand Total :					2800/-

Amount (In Words) : Two thousand Eight Hundred Only

E. & O.E.

For Vansh Enterprises

Authorized Signature

Tin No.: 05017069309

0135-2457277

BILL/CASH MIMO

9058522777

9897759984

451

# M/S VANSH ENTERPRISES

C-877, I.D.P.L., Virbhadra, Rishikesh, Dehradun (U.K.)

Ref. No. .... 744 .....

Date. 5/12/23

Name Atul Nehra

Address Near Decon Valley Tapovan  
Tomb Crank road

Sr.N.	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
	Supply of Water tanks	5	Mo	400	2000/-
Total :					2000/-
Vat.....%					2
Grand Total :					2000/-

Amount (In Words) : Two thousand only

E. & O.E.

For Vansh Enterprises

*[Signature]*  
Authorized Signature

Tin No.: 05017069309

0135-2457277

BILL/CASH MIMO

9058522777

9897759984

# M/S VANSH ENTERPRISES

C-877, I.D.P.L., Virbhadra, Rishikesh, Dehradun (U.K.)

Ref. No. .... 739 .....

Date. 15/10/23

Name Atul Nehra

Address Near Decon Valley Tapovan  
Tomb Crank road

Sr.N.	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
	Supply of water tanks	7	Mo	400	2800/-
Total :					2800/-
Vat.....%					2
Grand Total :					2800/-

Amount (In Words) : Two thousand eight hundred only

E. & O.E.

For Vansh Enterprises

*[Signature]*  
Authorized Signature



# नेगी ट्रेडर्स

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक 385

दिनांक 20/6/24

नाम अशुभ मेहरा

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	रु० धनराशि
	10 इंच पाईप		400	4000
			योग	4000

भूल-चूक लेनी देनी

हस्ताक्षर



# नेगी ट्रेडर्स

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक 374

दिनांक 15/4/24

नाम अशुभ मेहरा

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	रु० धनराशि
	12 इंच पाईप		400	4800
			योग	4800

भूल-चूक लेनी देनी

हस्ताक्षर



# नेगी ट्रेडर्स

8630095500

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक 349

दिनांक 10/1/24

नाम अशुभ मेहरा

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	रु० धनराशि
	10 इंच पाईप		400	4000
			योग	4000



# नेगी ट्रेडर्स

8630095500

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक 366

दिनांक 7/2/24

नाम अशुभ मेहरा

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	रु० धनराशि
	8 इंच पाईप		400	3200
			योग	3200



॥ जय माँ कर्ण देवी ॥

नेगी ट्रेडर्स

9412154298  
8630095500

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक 371

दिनांक 7/3/24

नाम अनुभव पट्टा

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	धनराशि रु०
	14 ट्रेडर्स प्लान		400	5600
			योग	5600 -

भूल-चूक लेनी देनी

हस्ताक्षर





कार्यालय, सहायक अभियन्ता, सब-डिविजन (गंगा),  
उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश  
निकट अशोका होटल, हीरालाल रोड ऋषिकेश, देरादून ।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
साकेत कॉलोनी, धर्मपुर, नेहरू कॉलोनी,  
देहरादून ।

पत्रांक 143 / तपो0जलो0यो0 / 2024-25

दिनांक 09/07/24

विषय:- तपोवन स्थित निर्माणधीन छ: भवनों के सीवर सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपसे हुयी प्रोन पर वार्ता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा व्हट्सएप्प के माध्यम निम्न भवनों की सीवर सम्बन्धी आख्या चाही गई है।

1. श्री राजेश अग्रवाल, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
2. स्व० श्रीमती शोभा सिंह/श्री नरेन्द्र बलूनी, घुघत्यानी तल्ली डीकॉन वैली तपोवन।
3. श्री अतुल नेहर, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
4. श्री दीपक कण्डारी, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
5. श्री रंजन गुप्ता/ श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/ श्री अमित, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
6. श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन नेटवर्किंग उपलब्ध है तथा उक्त निर्माणधीन भवनों को सीवर से संयोजित किया जा सकता है।

भवदीय

(हरीश कुमार बंसल)  
सहायक अभियन्ता

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री राजेश अग्रवाल/अन्य का तपोवन, घुघत्याणी गल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो0/त्रिषि0/87/2017-18, दिनांक-03/11/2017 द्वारा वाद योजित है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही/सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+4तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 14.50 मी0 एवं गहराई 18.30 मी0 तथा कुल क्षेत्रफल 265.35 वर्ग मी0 है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1061.40 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस0टी0पी0 नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-111/जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को दिनांक-08-07-2024 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

113

13

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0027/2023, दिनांक-08/11/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 25.00 मी० एवं गहराई 18.90 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 472.50 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 2362.50 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-108/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-08-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री रंजन गुप्ता/श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/श्री अमित आदि का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या- UCMS/TSN/C/0014/2023, दिनांक-21/08/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 15.80 मी० एवं गहराई 16.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 255.75 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1278.75 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-86/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-13-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/R/0008/2021, दिनांक-12/10/2021 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 19.85 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 181.62 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 908.10 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-107/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-08-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।

सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

स्व० श्रीगती शोभा सिंह/नरेन्द्र बलूनी का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो०/टि०/40/2020-21, दिनांक-08/07/2020 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+4तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 20.75 मी० एवं औसत गहराई 8.90 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 184.67 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 738.68 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-110/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री अतुल नेहरा एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0023/2023, दिनांक-08/12/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 18.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 169.27 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 846.35 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-109/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर,  
सहारनपुर रोड देहरादून।

770

01/08/17

पत्रांक / मान0 सैल-विविध / 15-16

दिनांक 15/8

- 1-समस्त सहायक अभियन्ता,  
म0दे0वि0प्रा0  
देहरादून।
- 2-समस्त अवर अभियन्ता,  
मानचित्र सैल।
- 3-समस्त अवर अभियन्ता,  
अवैध निर्माण सैल।
- 4-ड्राफ्ट्समैन / लेखपाल / पटवारी,  
म0दे0वि0प्रा0 देहरादून।

विषय:- मान0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.17 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय में प्रेषित संयुक्त मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण राजीव गांधी बहुउद्देश्यीय काम्प्लेक्स डिरयैसरी रोड देहरादून के पत्र संख्या 311 दिनांक 12.7.17 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मान0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.17 की प्रति इस आशय से संलग्न की गयी है कि भविष्य में मानचित्रों पर स्वीकृति से पूर्व मान0 एन0जी0टी0 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, अतः उक्त आदेश की प्रति आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।  
संलग्नक:-यथोक्त।

अधिसासी अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ व अवलोकनार्थ प्रेषित।

- 1-उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- 2 सचिव, महोदय म0दे0वि0प्रा0।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता म0दे0वि0प्रा0।

अधिसासी अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।



## उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्प्लेक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड  
Website- uhuda.org.in E-mail- uhudauk@gmail.com, info@uhuda.org.in

पत्रांक:- 311 / उडा-171 / एन0जी0टी0 / 2016-17

दिनांक: 12.04.2017

प्रेषक,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,  
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,  
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

- |   |  |
|---|--|
| 1. उपाध्यक्ष,<br>गसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,<br>देहरादून।   | 2. उपाध्यक्ष,<br>हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण,<br>हरिद्वार।   |
| 3. सचिव,<br>नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र<br>विकास प्राधिकरण, नैनीताल।   | 4. सचिव,<br>दून-घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,<br>देहरादून।   |
| 5. उपाध्यक्ष<br>स्थानीय प्राधिकरण,<br>बद्रीनाथ/औली/गौचर/भैरसैण/<br>रूद्रप्रयाग/श्रीनगर/पौडी/उत्तरकाशी<br>/चमोली-गोपेश्वर। | 6. उपाध्यक्ष<br>स्थानीय प्राधिकरण,<br>पिथौरागढ़/कोसानी-ल्वेशाल/बागेश्वर/<br>चम्पावत/रामनगर/हल्द्वानी-काठगोदाम।<br>नाजपुर/किष्का/काशीपुर/रुद्रपुर |

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.04.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित  
आदेश दिनांक-25.04.2017 की प्रति इस आशय से भेजी जा रही है कि भविष्य में मानचित्रों पर  
स्वीकृति से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।  
(संलग्न मा0 एन0जी0टी0 के निर्णय की प्रति)।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

Secretary

1/9/17  
18-7-17

V.Z.  
21/3/17

भावदीय

(गिरधारी सिंह रावत)  
संयुक्त मुख्य प्रशासक।

प्रतिलिपि-

1. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

1332  
24/7/17

Map Cell

PA

Secy 24/7

(गिरधारी सिंह रावत)  
संयुक्त मुख्य प्रशासक।

मुख्यालय  
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
29/20, नेमी रोड़, डालनवाला, देहरादून-248001

पत्रांक-यूईपीपीसीबी/एच.ओ/सा0-183(217)/2017/148-136

दिनांक 5.05.2017

फैक्स/रपीड पोस्ट द्वारा  
कोर्ट नैटर/अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. सगस्त जिलाधिकारी। चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी/पौड़ी/देहरादून/हरिद्वार/बागेश्वर/अल्मोड़ा/चम्पावत/नैनीताल/उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
2. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, तुलसी चौक मायापुर, हरिद्वार। फैक्स-01334-265702
3. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड़, नियम आई.एस.बी.टी., देहरादून। फैक्स-0135-6603103।
4. उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, राजीव गांधी काम्पलैक्स, नियर तहसील, डिसपेन्सरी रोड़ देहरादून। फैक्स-0135-2719700
5. सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साहा), 12, प्रीतम रोड़, देहरादून। फैक्स-0135-2669062
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, 53, टी.एच.डी.सी. विस्थापित क्षेत्र, तोमर काम्पलैक्स, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, 3/3, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, 74/1, राजपुर रोड़, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊ मण्डल विकास निगम, ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल। फैक्स-05942-2368971
10. सचिव, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल। फैक्स-05942-236041
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, नारायण विहार, कारगी रोड़, देहरादून। फैक्स-0135-2622590
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11, मोहिनी रोड़, देहरादून।

विषय :- भा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आरोक्त विषयक अवगत होना चाहें कि भा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा मूल आवेदन संख्या-19972014 एवं मूल आवेदन संख्या-61/2017 में दिनांक 25.04.2017 को अन्य आदेशों के साथ नगरीय क्षेत्र अपशिष्ट प्रबंधन तथा रीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये हैं-

"Therefore, we hereby direct that no plans for building of constitution over 10,000Sq. Mtrs, area which will cover for construction area would be sanctioned by any legal authority in the entire country unless such sanction plan duly provided for setting up of an STP which shall bring sewage and domestic discharge within the prescribed parameters. Further such plan should duly provided for a complete and comprehensive system of collection, transportation and disposal of municipal solid waste strictly in accordance with the solid waste management Rule, 2016".

क्रमशः पृष्ठ-2

148  
11.5.17

-2-

मा0 एन.जी.टी. के आदेशों की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मा0 एन.जी.टी. के आदेश की छायाप्रति राज्य बोर्ड की वेबसाईट-<http://ucepceb.uk.gov.in/contents/listing/8%20NCT%20orders> पर ही उपलब्ध है। कृपया अवगत होना चाहिए कि विषयगत प्रकरण मा0 एन.जी.टी. में विवादाधीन है।  
संलग्नक :- यथोपरि।



प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 43/6 माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से राज्य के सम्स्त स्थानीय निकायों को मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के अनुपालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 199 of 2014

And

Original Application No. 61 of 2017

(Earlier OA No. 199 of 2014)

And

Original Application No. 281 of 2016

(M.A. No. 1007/2016 & M.A. No. 395/2017)

IN THE MATTER OF:

Amitra H. Patol & Anr. Vs. Union of India & Ors.

&

Kudrat Sandhu Vs. Govt. of NCT & Ors.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN, EXPERT MEMBER  
HON'BLE DR. AJAY A DESHPANDE, EXPERT MEMBER

Present: Applicant :

Respondent:

Mr. Mandeep Kalra, Adv.  
Ms. Divya Sharma, Adv.  
Mr. Gautam Singh and Mr. Rudreswar Singh, Adv.  
for State of Bihar and Bihar SPCB  
Ms. Priyanka Sinha, Adv. for State of Jharkhand  
Ms. K. Enatoll Sema, Mr. Amith and Mr. Amit Kumar  
Singh, Adv. for the State of Nagaland and Pollution  
Control Board  
Ms. Deep Shikha Bharati, Adv. for MoEF  
Mr. Debarshi Bhuyan and Mr. S.S. Rebollo, Adv. for  
State of Goa and Goa SPCB  
Mr. Anil Soni, AAG and Mr. Naginder Benipal, Adv.  
Mr. Om Prakash, Adv. Mr. Hemantika Wahi and Mr.  
Kabir Hathi, Adv. For State of Gujarat  
Mr. R. Rakesh Sharma, Adv. for State of TN & TNPCB  
Ms. Aprajita Mukherjee, Adv.  
Mr. Pradeep Misra and Mr. Dileep Dhyani, Adv. For  
Uttar Pradesh Pollution Control Board  
Mr. G.M. Kawoosa, Adv. for State of J&K  
Mr. Saurabh Prakash, Adv. for Zorba Entertainment  
pvt. Ltd.  
Mrs. Molini Sud, Adv., Mr. Ishan Khanna, Adv.  
Dr. Abhishek Atrey and Ms. Megha Tyagi, Adv. and  
Mr. Vikas Malhotra, Adv. for Ministry of  
Environment, Forest and Climate Change  
Dr. Abhishek Atrey, Adv. for UT of Lakshadweep  
Mr. S. Sukumaran, Mr. Anand Sukumar and Mr.  
Bhupesh Kumar Pathak, Adv. for Municipal  
Corporation of Or. Mumbai  
Mr. P.K. Agrawal, Ms. Mercy Hussain, Adv. for hotel  
Leela ambience  
Mr. Atul Sharma, Adv., Mr. Nitesh Jain, Adv., Ms.  
Yamini Khurana, Adv. for Hotel Metropolitan  
Mr. Sangram Patil, Mr. Dhruvjit Sikk, Mr. Dhruv  
Kumar, Mr. Swyamsiddha Patil, Mr Suresh Chandra,  
Adv. For Hotel Samrat  
Ms. Manisha T. Karla, Adv., Ms. Nidhi Nagpal, Adv.,  
Ms. Soumya, Ms. Mudit Sood, Adv. For Holiday Inn  
Hotel  
Mr. Rahul Kumar, Adv. for Jawahar Lal Nehru society  
Mr. Abhinay Mahajan, Adv., Ms. Anubha Goel,  
Adv. for Hotel Leela Palace  
Ms. Sakshi Popli, Adv. Ms. Pritika Singh, Adv. for  
NDMC  
Mr. Nitish Shrivastava, Adv. for M/s Golden radiance  
palm hotel  
Mr. Sudarshan Rajan, Adv Mr. Karajot Singh Malnee,  
Adv. for Delhi Citizen Society  
Ms. Pooja Kalra, Adv.  
Mr. Riddhika Nanda, Adv., Mr. Sumit Raj, Adv. for  
Kotico No. 1-Max Healthcare Ltd.  
Mr. Amit Agarwal, Adv., Ms. Asha Basu, Adv.  
Mr. Shiv Mangal Sharma, AAG with Mr. Saurabh  
Rajpal, Mr. Adhiraj Adv. for RSPCB  
Mr. D.K. Thakur, AAG with Ms. Seema Sharma, Dy.  
AG for State of Himachal Pradesh

Mr. Abhishek Yadav, Adv. for State of Uttar Pradesh  
 with Mr. Raghuvendra Singh, Sr. Adv. General  
 Mr. Jigy Searla, Adv. for Kerala State Pollution  
 Control Board  
 Ms. Sunita Sharma President and Mr. Arun Lal  
 Gudda, Sec. for Bharat  
 Mr. Taruna Sharma, Adv.  
 Mr. Pradeep Hans, President, Neelkanth Apartment  
 Rohini Delhi  
 Mr. M.I.H Khan President RWA  
 Mr. RAJUL Shrivastav, Adv.  
 Mr. D. K. Thakur AAG with Ms. Sooma Sharma, DAG  
 for State of Himachal Pradesh  
 Mr. Jayesh Gaurav Adv. for JSPCB  
 Mr. Vikas Sood, Adv.  
 Mr. B. V. Niren, and Mr. Vinayak Gupta, Adv.  
 Mr. Pinaki Misra, Sr. Adv. and Mr. Manu Aggarwal,  
 Adv.  
 Mr. Arjun Pant, Adv. Mr. Pallav Pandey, Adv. for Res.  
 17-hotel Lalit  
 Mr. Tarun S. and Mr. Amit Gupta, Adv.  
 Dr. V.N.V Satish, Adv. for GTB Hospital.  
 Mr. Anuj Aggarwal for Dharamshala Hospital Noticee  
 No. 9  
 Ms. Priyanka Sinha, Adv. for State of Jharkhand  
 Ms. Meenakshi Parthian, Mr. Anurag Dubey, Adv. for  
 M/s Lillywhite hotel Mr. Nishe Rajen Shonker, Adv.  
 for State of Kerala  
 Mr. Sudheep Kr. Shatriya, Adv., Mr. Pratyaksh Raj,  
 Adv. for Park Plaza Hotel  
 Mr. Anil Grover, AAG with Mr. Rahul Khurana Adv.  
 for State of Haryana and Haryana Pollution Control  
 Board  
 Ms. Sapam Biswajit, Adv., Mr. Nareesh Kumar Gaur,  
 Adv.  
 Mr. Guntur Prabhakar and Mr. Guntur Pramod Kumar  
 and Mr. Prashant Mathur, Adv. for State of AP  
 Ms. Asha Dasu and Mr. Amit Aggarwal, Adv. For West  
 Bengal Pollution Control Board  
 Mr. Debarshi Dhuyan, Adv. for state of Goa  
 Mr. P. Venkat Reddy, Adv., Mr. Prashant Tyagi, Adv.  
 for State of Telangana  
 Mr. Tayenjam Momo Singh and Mr. Apilth J., Adv.  
 for Meghalaya SPCB  
 Ms. Shilbani Ghosh Choudhary, Adv. for State of  
 Maharashtra  
 Ms. Aruna Mathur, Mr. Amit Arora, Ms. Anuradha  
 Arputham and Mr. Avneesh Arputham, Adv. for  
 State of Sikkim  
 Mr. Rajiv Bansal, Mr. Kush Sharma, Mr. Anirudh  
 Chadda and Ms. Arpita, Adv. for Delhi Development  
 Authority  
 Ms. Divya Sharma, Adv., Mr. Arun Monga, Adv.  
 Mr. Saurabh Kumar, Adv.  
 Mr. Sunny Choudhary, Adv.  
 Mr. M. Paikaray and Mr. A. K. Panda, Adv.  
 Mr. Anil Soni, AAG with Mr. Naginder Doulpal, Adv.  
 Mr. Ashish Negi Adv. for Ms. Richa Kapoor, Adv.  
 Mr. Rameer Chaudhary, Adv. for Park Inn by  
 Radisson  
 Mr. Baldev Singh, Adv. for HPPCB  
 Mr. Shuvodeep Roy and Mr. Sayooj Mohandas, Adv.  
 for State of State of Assam and Assam PCB  
 Mr. V.K. Shukla with Ms. Vijay Lakshmi, Adv. for  
 State of MP  
 Mr. Vijay Panjwani, Adv. for Central Pollution  
 Control Board  
 Ms. Pragyan Pradip Sharma, Adv. for the State of  
 Mizoram  
 Mr. Anil Shrivastav, Mr. Ritiraj Biswas and Ms.  
 Sujaya Bardhan, Adv.  
 Mr. Aruna Mathur, standing counsel, Mr. Avneesh  
 Arputham, Adv., Mr. Anuradha Arputham, Adv.  
 Mr. Tarunvir Singh Khohar, Ms. Guneet Khehar and  
 Mr. Charan Jeet Singh, Adv.  
 Mr. Rajul Shrivastav, Adv. for MPPCB  
 Ms. Yogmaya Agnihotri, Adv. for CECB  
 Mr. Sarthak Chaturvedi, Mr. Rohit Pandey, Adv. and  
 Mr. Shubham Jalwal, Adv. for Andaman & Nicobar  
 Island  
 Mr. Balendu Shekhar, Adv. with Mr. R.K. Maurya,  
 Adv. for East Delhi Municipal Corporation,

Mr. Jayesh Gaurav, Adv. for JSPCB  
 Mr. Biraja Mahapatra, Adv. with Mr. Dinesh Jindal,  
 LO for Delhi Pollution Control Committee  
 Mr. B.V. Niren, Adv. for MoUD  
 Mrs. D. Bharathi Reddy, Adv. for State of  
 Uttarakhand  
 Mr. Gopal Singh, Ms. Varsha Poddar, Mr. Rituraj  
 Biswas, and Mr. Kumar Millind, Adv. for State of  
 Tripura  
 Mr. Jayant K. Mehta, and Mr. Abhjeet Srivastava,  
 Advs.  
 Dr. Abhishek Atrey and Mr. Vikas Malhotra, Advs.  
 Dr. Abhishek Atrey and Ms. Megha Tyagi, Advs.  
 Mr. Shiv Chopra and Mr. Arush Khanna, Advs.  
 Mr. Balendu Shekhar and Mr. R. K. Maurya advs and  
 Mr. Vipin LDC  
 Mr. Sanjay Manu and Mr. R. K. Pillar, and Mr. Vinay  
 Kanwar, Advs.  
 Ms. D. Bharathi Reddy, Adv.  
 Dr.  
 Mr. Ashish Negi, Adv. for Ms. Richa Kapoor, Adv. for  
 PPCB  
 Mr. Mukesh Verma and Mr. Bikas Kr. Sinha, Advs.  
 Mr. Saurabh N. President and Mr. BB Bhandari, Sec.  
 Ms. Sakshi Popli, Adv. for NDMC & DJB  
 Mr. Balendu Shekhar, Adv. for Noticee Hospital  
 Swamy Dayanand Hospital  
 Mr. M.Z. Chaudhary, Adv., Mr. Sharq Zaidi, Ms.  
 Mansi, Adv.  
 Mr. Mukesh Verma and Mr. Bikash Kumar Sinha,  
 Advs.  
 Mr. Sunny Choudhary, Adv. for MPPCB  
 Mr. Saurabh Kumar Adv.  
 Mr. Nitesh Srivastava, Adv for Noticee 1 for O.K.  
 Motels Pvt. Ltd.  
 Mr. Harish Sharma, Adv for State of Chattisgarh  
 Mr. Tanuj Agrawal, Mr. Ankit Prakash, Advs. For  
 Fraser Suites  
 Mr. Vibhav Misra, Adv., Ms. Soumya Misra, Adv. for  
 DTC  
 Mr. Santosh Kumar, Adv. for Vivekanda Mehila  
 College  
 Mr. Santosh Kumar, Adv. for Shaheed Sukhdev College  
 Mr. Dr. R.K. Mahajan, Consultant Mr. Anil Bhatt, for  
 Dr. RMC Hospital  
 Ms. Yogmaya Agnihotri, Adv. for CEOB  
 Mr. V.K. Shukla, Adv with Mr. Vijay Lakshmi, Adv.  
 Mr. G.M. Kawoosa, Adv.  
 Ms. Deepshikha Bharati, Adv. MoEF  
 Dr. V.N.V. Satish, for GTB Hospital  
 Mr. Shubham Dhalli, Adv., Mr. Dhruv Pal, Adv. for  
 State of Punjab  
 Mr. Edward Belho, AAG, Mr. K. Luikang Michael,  
 Adv., Ms. Ellis Gangmel, Adv.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item No. 01-03  April 25, 2017  ss	<p>The Learned Counsel appearing for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change prays for time to seek instruction, if any of the Sub-Committees have filed their final report and also whether the all interim reports filed by the Committee with the Ministry and/or filed before the Tribunal by the Ministry. Let him take instructions positively by the next date of hearing and without default.</p> <p>In terms of order dated 10<sup>th</sup> April, 2017; Notices were</p>

<p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>ss</p>	<p>issued to all the defaulter Noticees Hospitals, Hotels, Schools, Railway stations and other buildings belonging to Public or Private both.</p> <p><b>Hospitals :-</b></p> <p>From the Hospital's list of Sl. No. 1 to 15, Notices were issued, however, nobody appears on behalf of the following:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IG ESI Hospital, Jhil Mill Colony, East Delhi.</li> <li>2. GTB Hospital, Dilshad Garden, Delhi.</li> <li>3. Jag Pravesh Chandra Hospital, Shastri Park, Delhi.</li> <li>4. Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hospital, Near Delhi Gate, Jawaharlal Nehru Marg, New Delhi</li> </ol> <p>As nobody is present on their behalf, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the <b>Medical Superintendents of all above these hospitals in the sum of Rs. 25,000/-</b> to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for their production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.</p> <p>The Noticees stated at Sl. No. 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 and 15 are present personally or represented through counsels. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.</p> <p>List these cases for hearing on 15<sup>th</sup> May, 2017.</p> <p><b>Hotels :-</b></p> <p>All the hotels from Sl. No. 1 to 24 are present</p>
---	--

	<p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>ss</p>	<p>personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.</p> <p><u>Colleges :-</u></p> <p>From amongst the Educational Institutions, Noticee No. 4 is not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Registrar of Delhi Technological University in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for his production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.</p> <p>The Educational Institutions from Sl. No. 1 to 3 are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.</p> <p>List these cases for hearing on 15<sup>th</sup> May, 2017.</p> <p><u>Malls :-</u></p> <p>Out of all the Malls to whom Notices were issued, the Noticee No. 1, 2, 3 and 6 are not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Proprietor of all above theses Malls in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI</p>
--	---	--

<p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>ss</p>	<p>Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for his production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.</p> <p>Let the case of Noticee No. 5 - DLG Galleria, Mayur Vihar, Delhi be listed before Court No. 2.</p> <p>The Noticees No. 1, 2, 3 and 6 are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.</p> <p>List these cases for hearing on 15<sup>th</sup> May, 2017.</p> <p><b><u>Railway Stations:-</u></b></p> <p>From amongst all the 4 Noticees (Railway Stations), are present and represented through their Counsel. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.</p> <p>List these cases for hearing on 15<sup>th</sup> May, 2017.</p> <p><b><u>Bus Terminals:-</u></b></p> <p>The Learned Counsel appearing for all the Bus Terminals submits that Noticees have been served to them and they pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.</p> <p>List these cases for hearing on 15<sup>th</sup> May, 2017.</p> <p><b><u>Waste to Energy Plant:-</u></b></p> <p>The Learned Counsel appearing for the Waste to Energy Plant, Ghazipur of M/s. East Delhi Waste Processing Private Limited pray for time to file their replies. Replies be</p>
---	--

<p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>ss</p>	<p>filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.</p> <p>List this case for hearing on 15<sup>th</sup> May, 2017.</p> <p><b><u>Residential Societies:-</u></b></p> <p>Out of the 9 Housing Societies, Notices Nos. 2 (Ekta Enclave) and 6 (Ghalib Memorial Cooperative GP Housing Society) are not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Secretary of the Societies in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for their production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.</p> <p>The remaining 7 Notices are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.</p> <p>List these cases for hearing on 15<sup>th</sup> May, 2017.</p> <p>We direct Ministry of Environment, Forest and Climate Change as well as Registry of National Green Tribunal to put up inspection report on its website within two days from today. Any of the Notices who have not received and/or not aware about the report of the Committee constituted by the Tribunal can access the report from the site and should file their replies as already directed.</p>
---	--

<p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>ss</p>	<p>Despite the time granted under the judgment and by the subsequent orders passed by the Tribunal, State Governments and Union Territories have not filed their comprehensive Status Report and Action Plan for compliance of the directions contained in the Judgment of the Tribunal in the case of Almitra H. Patel &amp; Anr. Vs. Union of India &amp; Ors. in Original Application No. 199 of 2014. There is no justification for the parties concerned and all the State Governments not to file such report.</p> <p>The Learned Counsel appearing for the Central Pollution Control Board submits that they had received reports from some of the States they found serious deficiencies/shortcomings as given in para (5) and the Central Pollution Control Board has already written to the various State Governments to rectify such deficiencies and provide complete and comprehensive statements. The cut-off date/month provided was March, 2017, which is already over, however, in the interest of justice, we still grant last opportunity of two weeks for all the State Governments and Union Territories to file their Status Reports and Action Plan. All the concerned States which have filed their report to Central Pollution Control Board should rectify the defects/deficiencies as reported by Central Pollution Control Board within the same period.</p> <p>We make it clear that in the event of non-compliance now, each State/Union Territory shall be liable to pay cost of Rs. 1 Lakh, which shall be recovered from the salary of the erring officers of the concerned Governments/Union Territories.</p> <p>Vide our order dated 12<sup>th</sup> January, 2017, we had issued Show Cause Notice to all the State</p>
---	---


<p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>ss</p>	<p>Governments/Union Territories, as to why Tribunal should not pass directions requiring authorities to strictly adhere to the doctrine of Sustainable Development in its true concepts. Further, while upcoming developing projects, industrial, residential and commercial, why directions be not issued to commence its work until and unless the development plans will provide collection, processing and disposal of municipal solid waste in accordance law and they are also to have their own sewage system plant.</p> <p>Unfortunately, till today, though more than sufficient time has expired, no reply to Show Cause has been filed except by the State of Maharashtra, State of Nagaland, Union Territory of Lakshadweep, State of Punjab, Administration of Andaman &amp; Nicobar, State of Sikkim, State of Mizoram, State of Assam, State of Bihar, State of Himachal Pradesh, State of Kerala and State of Meghalaya.</p> <p>These cases would be listed on 15<sup>th</sup> May, 2017.</p> <p>We have heard the Learned Counsel appearing for various States and Union Territories including the one who have filed their replies. It is commonly conceded before us that all construction projects particularly which have larger area, should be directed to construct their own STP and should have complete mechanism for collection, transportation and disposal of municipal solid waste in accordance with Solid Waste Management Rule, 2016 that are comprehensive enough and provide complete mechanism in that behalf. Besides that some State Governments have issued guidelines where they have required the builders of buildings where the constructed area is more than 4000 Sq. Mtrs. to have their own</p>
---	---

<p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>ss</p>	<p>facilities. These mass generators of waste are under statutory as well as corporate social responsibility to ensure that they do not throw untreated sewage, domestic/commercial waste and municipal solid waste in the open areas or in the water bodies and the Dhalaos without discharging their fundamental duties as contemplated under Article 51(a)(g) of the Constitution of India. The interest of the environment which is in a public interest must not be permitted to undermined for the commercial interest. The builders of such huge constructions should be directed to put up such facilities not only in the interest of environment and public health at large, but even at their own interest.</p> <p>Therefore, we hereby direct that no plans for building of constitution over 10,000 Sq. Mtrs. area which will cover for construction of any commercial, industrial and even residential area would be sanctioned by any legal authority in the entire country unless such sanction plan duly provided for setting up of an STP which shall bring sewage and domestic discharge within the prescribed parameters. Further such plan should duly provided for a complete and comprehensive system of collection, transportation and disposal of municipal solid waste strictly in accordance with the Solid Waste Management Rule, 2016.</p> <p>This direction shall apply to all the pending sanctions as of today and to all cases without exception in future.</p> <p>List these matters for further directions on 15<sup>th</sup> May, 2017.</p> <p>Copy of this order should be circulated to all the Chief Secretaries of the State Government as well as the State Pollution Control Boards which in term shall circulate to all</p>
---	--

	<p>Item No. 01-03</p> <p>April 25, 2017</p> <p>88</p>	<p>the local authorities.</p> <p>.....,CP (Swatanter Kumār)</p> <p>.....,JM (Raghuvendra S. Rathore)</p> <p>.....,EM (Bikram Singh Sajwan)</p> <p>.....,EM (Dr. Ajay A Deshpande)</p>
--	---	---







IN THE COURT OF National Green Tribunal

Suit / Appeal No. D.A 211/2024 JURISDICTION OF 201

In re:-

Sanjay Agarwal Plaintiff(s) Or Petitioner(s)  
Appellant(s) Or Complainant(s)

**VERSUS**

State of Uttarakhand & Ors Defendant(s)/Respondent(s)/Accused

KNOW ALL to whom these Present shall come that I / We Respondent (Atul Dehra)

The above named Respondent do hereby appoint

- ROHIT Pandey D/1310-B/2002
- Manisha Aravel D/4979/2015
- ADHYAYAN GUPTA D/19699/2022

(herein after called the advocate/s) to be my / our Advocate in the above - noted case authorize him/them :-

To act, appear and plead in the above-noted case in this court or in any other court in which the same may be tried or heard and also in the appellate court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me / us.

To sign file, verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.

To file and take back documents, to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings on paying separate fee.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution on the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorising him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/We undertake that I/We or my/our duly authorised agent would appear in court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned to hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/We undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/ us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settle is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid, I / We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understand by me/ / us on this..... day of .....20..... Accepted subject to the terms of the fees.

Advocate


Client  
Identify The Signature/Thumb Impression Of Below Mentioned Person,  
Who Has Been Signed in My Presence. The Client.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature: Rohit Pandey)*

*(Handwritten signature: Manisha Aravel)*

*(Handwritten signature: Adhyayan Gupta)*





Adhyayan Gupta &lt;adv.adhyayangupta23@gmail.com&gt;

---

**counter affidavit in O.A 211 of 2024 (for respondent no. 7, 8 and 10)**

1 message

**Adhyayan Gupta** <adv.adhyayangupta23@gmail.com>

Thu, Nov 7, 2024 at 4:18 PM

To: "moef.ddn@gmail.com" &lt;moef.ddn@gmail.com&gt;, staffo-mirri-uk@gov.in, ddo-tehri@uk.gov.in, sanjay.agall@gmail.com

 SANJAY AGARWAL 3 (1).pdf SANJAY AGARWAL 2 (1).pdf SANJAY AGARWAL (1) (1).pdf

counter affidavit in O.A 211 of 2024 (for respondent no. 7, 8 and 10)